तृतीय वार्षिक रिपोर्ट – 2013-14
3rd Annual Report - 2013-14

सेकी SECI
सूर्य सदैव SUN FOR EVER

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
Solar Energy Corporation of India
(A Government of India Enterprise)

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

(भारत सरकार का उपक्रम)

Solar Energy Corporation of India

(A Government of India Enterprise)

निदेशक मण्डल
BOARD OF DIRECTORS

उपेंद्र त्रिपाठी
अध्यक्ष
Upendra Tripathy
Chairman

राजेन्द्र निमजे
प्रबंध निदेशक
Rajendra Nimje
Managing Director

तरुण कपूर
निदेशक
Tarun Kapoor
Director

डा. अश्विनी कुमार
निदेशक (सौर)
Dr. Ashvini Kumar
Director (Solar)

राकेश कुमार
निदेशक (विद्युत प्रणाली)
Rakesh Kumar
Director (Power Systems)

सी. कन्नन
निदेशक (वित्त)
C. Kannan
Director (Finance)

राजीव भारद्वाज
निदेशक (मानव संसाधन)
Rajeev Bhardwaj
Director (HR)

विषय-सूची : CONTENTS

1. अध्यक्षीय संबोधन
CHAIRMAN'S STATEMENT 02

2. बैठक संबंधी सूचना
NOTICE OF MEETING 05

3. निदेशकों की रिपोर्ट 2014
DIRECTORS' REPORT 2014 06

4. लेखा परीक्षा रिपोर्ट
STATUATORY AUDITORS REPORT 11

5. नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां
C&AG COMMENTS 14

6. कंपनी प्रशासन पर रिपोर्ट
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 15

7. तुलन पत्र
BALANCE SHEET 18

8. आय और व्यय विवरण
STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE 19

9. अनुबंध
ANNEXURES 20

कंपनी सचिव	:	एस. के. गुप्ता
सांविधिक लेखा परीक्षक	:	सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स
	:	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
	:	नई दिल्ली
बैंकर्स	:	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
	:	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
	:	एक्सिस बैंक
पंजीकृत कार्यालय	:	डी-3, प्रथम तल, विंग-ए, रेलिगेयर भवन, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत नई दिल्ली - 110017

Company Secretary	:	S. K. Gupta
Statutory Auditors	:	Sood Brij & associates Chartered Accountants,
	:	New Delhi
Bankers	:	State Bank Of India
	:	Union Bank Of India
	:	Axis Bank
Registered Office	:	D-3, 1st Floor Wing-A, Religare Building, District Center, Saket New Delhi - 110017

अध्यक्षीय संबोधन
CHAIRMAN'S STATEMENT

तृतीय वार्षिक आम सभा में अध्यक्षीय भाषण

प्रिय सदस्यगण,

भारतीय सौर ऊर्जा निगम की आज दिनांक 12 सितम्बर 2014 को आयोजित तृतीय वार्षिक आम सभा में, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् सत्यापित रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है और आपकी अनुमति से, मैं यह कहना चाहूंगा कि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए। जहां निदेशकों की रिपोर्ट में उन गतिविधियों को शामिल किया गया है, जो हमारी कंपनी द्वारा इस वर्ष के दौरान की हैं, वहीं मैं कंपनी के उन विस्तृत बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहूंगा जो कंपनी के लक्ष्य एवं उद्देश्य को परिलक्षित करते हैं।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) की स्थापना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में इस उद्देश्य से हुई कि सौर ऊर्जा प्रोद्योगिकी का विकास तथा परिनियोजन का समन्वित कार्यक्रम बनाया जा सके। सौर ऊर्जा के अनेक दूरगामी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उन्हें सुसाध्य बनाने की एजेंसी के रूप में कम्पनी भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम का लक्ष्य है :–

- बड़े स्तर पर सौर उपकरणों, सौर ऊर्जा सन्यंत्रों,सौर पार्कों के विकास तथा परिनियोजन में नेतृत्व प्रदान करना, भारत के दूरगामी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा व्यावसायिक दृष्टि से सौर ऊर्जा का उपयोग करना।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में शुरु किया गया जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य भारत में ऊर्जा परिदृश्य में रूपांतरण करना, 20 हजार मेगावाट स्वच्छ तथा हरित सौर ऊर्जा का वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय ग्रिड बनाना है। पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर ऊर्जा की बहुविध अनुकूल परिस्थितियां तथा श्रेष्ठता को देखते हुए तथा नई सरकार द्वारा नीतिगत प्रोत्साहन के चलते इसी कालक्रम में यह लक्ष्य बढाकर 1,00,000 मेगावाट हो जाना संभव प्रतीत होता है ।

पिछले दो तीन वर्षों में सौर ऊर्जा की कीमतें काफी कम हुई हैं । ये लगभग आयातित कोयले से चलने वाले नए तापीय पावर प्लांट्स के समकक्ष आ गई हैं। आर्थिक सहायता, जो व्यवहार्य निधिकरण के अंतराल के रूप में दी जाती थी, उसका स्तर भी क्रमशः नीचे आ रहा है। यह संभव है कि सौर ऊर्जा क्षेत्र सोलर आर पी ओ का अनुपालन ,वित्तीय लाभों की उपलब्धता तथा यह अवधारणा कि "प्रदूषक अवश्य भुगतान करे" जैसे नीतिगत निर्णयों से परिचालित हो। इस परिदृश्य में मुझे सेकी के लिए अत्यंत व्यावसायिक ढंग से वृहद् सौर क्षमता का निर्माण करने में नेतृत्व प्रदान करने की बहुत बड़ी संभावना दिखाई देती है।

Chairman's speech for 3rd AGM

Dear Members,

I extend a warm welcome to all of you to the 3rd Annual General Meeting of Solar Energy Corporation of India (SECI) being held today, the 12th day of September 2014. The Directors' Report and the Audited Statement of Accounts for the year ended 31st March, 2014 duly certified by the Comptroller and Auditor General of India are already available with you and with your permission, I take them as read. While the Directors' Report covers various activities in which the Company has been engaged during the year, let me deal with a few broader points highlighting the vision and goals of the Company.

Solar Energy Corporation of India (SECI) has been established, under the aegis of the MNRE, to plan and execute an integrated programme on development and deployment of solar energy technologies. As an implementation and facilitation agency of various far reaching solar energy programmes, the company is committed to constitute its bit to make India a world leader in Solar Energy. SECI's mission is

- To become the leader in development and deployment of large scale solar applications including solar power plants and solar parks, as well as to promote and commercialize the use of solar energy to reach the remotest corner of India.

The Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM), launched in the year 2010 by the Government of India, is aimed at transforming the power scenario of India by infusing atleast 20,000 MW of clean and green solar energy into the national grid by the year 2022. In the light of the multifarious advantages that solar power has over conventional energy sources and the policy push by the new Government, it appears possible to upscale this target to reach even 1,00,000 MW in the same time.

The past couple of years have brought solar power prices substantially down and it is almost reaching parity level with new thermal power plants with imported coal. The level of subsidy in the form of viability gap funding is gradually declining, and it is likely that solar power sector would be driven purely by policy instruments, such as, compliance to solar RPOs and bringing the concept of 'polluters must pay', and available fiscal benefits. In this scenario, I see a great business opportunity for SECI to assume the role of leader in setting up large solar capacities in a most professional manner.

2013–14 सेकी की स्थापना का तीसरा वर्ष रहा है। बोर्ड स्तर के 5 कार्यशील निदेशकों सहित 35 स्थाई निष्ठावान कर्मचारी की टीम के साथ इसका विकास हो चुका है। यह टीम विस्तार के लिये तत्पर है। व्यापार के नये परिदृश्य खुल रहे हैं जिससे अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। संयुक्त रूप से यह टीम बड़े पैमाने पर ग्रिड सम्बद्ध पी वी योजना, जे एन एन एस एम के चरण–II बैच–I के अंतर्गत 750 मेगवाट सौर पीवी कार्यक्रम, व लघु सूक्ष्म ग्रिड परियोजना, सौर सड़क रोशनी तथा सुदूर क्षेत्रों के लिये सौर उपकरण आदि योजनाओं की परियोजनाएं और परामर्शी सेवाओं की मेज़बानी के कार्य सफलता पूर्वक लागू कर रही है। सेकी ने कारगिल में 2500 मेगवाट की सौर क्षमता को प्राप्त करने के लिये एक परियोजना रिपोर्ट विकसित की है। इसके अतिरिक्त सेकी को ऊर्जा व्यापार अनुज्ञा पत्र भी मिल गया है। शीघ्र ही यह सौर ऊर्जा का व्यापार शुरू कर देगा। सेकी ने एमएनआरई के साथ भौतिक, वित्तीय तथा अन्य गत्यात्मक मानदण्ड के आधार पर निश्चित लक्ष्य निर्धारण सम्बंधी हस्ताक्षर किये हैं तथा आने वाले वित्तीय वर्ष के लिये भी निश्चित लक्ष्य निर्धारित किये हैं। हमने विभिन्न कार्यभार के लिये पीएफसी, डीएमआरसी, एएआई, आरईसी, एपीजीईएनसीओ, एपीआईआईसी जैसे ख्याति प्राप्त संगठनो को भी जोड़ा है तथा सौर पार्कों की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये राज्यों से भी गठबंधन करने की प्रक्रिया चल रही है।

सेकी व्यावसायीकरण तथा शोध एवं विकास के माध्यम से नई प्रोद्योगिकी के विकास तथा परिनियोजन के लिये प्रतिबद्ध है। एमएनआरई से अनुदान समर्थन तथा एडीबी से ऋण राजस्व द्वारा सेकी 50 मेगावाट के दो सौर तापीय प्रायोगिक परियोजनाओं के निविदा लाने की अग्रिम अवस्था में है। देश में सौर तापीय ऊर्जा स्थापित करने में यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। सेकी ने अपने प्रकार के प्रथम सौर–वायु संकरण परियोजना तथा वृहद बैटरी संग्रहण के कार्यान्वयन की योजना बनाई है जो हिमाचल प्रदेश के लाहोल स्पिति के काज़ा क्षेत्र के निवासियों को ऊर्जा उपलब्ध करायेगी। देश में कुल ऊर्जा मिश्रण में सौर ऊर्जा का भाग बढ़ता जा रहा है, अतः यह महत्वपूर्ण है कि सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला में परिमाण संकलन का अधिकांश भाग देश में ही हो जो बिना उपयुक्त शोध एवं विकास पर पूर्ण ध्यान संकेंद्रित किये बिना सम्भव नहीं हो पायेगा।

सेकी का लक्ष्य दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में बड़े पैमाने पर गतिविधियां चलाने का है। कम्पनी की स्थापना में निहित आधारभूत मूल सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए इसका उद्देश्य है कि देश की आवश्यकताओं के प्रति उत्साहपूर्वक अनुकूलता दिखाये तथा प्रत्येक समय उभरते हुए गत्यात्मक बाज़ार का भी ध्यान रखे। इन अविरत क्षेत्रों के अतिरिक्त लम्बे कालक्रम के लिये सेकी कुछ नवप्रवर्तन प्रदान करने का भी ध्यान रखेगा। जैसे सोलर पीवी प्लांट्स, संरक्षण सहित, संकर प्लांट्स, वाष्प संवर्धन, संघनित पीवी प्रोद्योगिकी, आदि। सेकी सरकार और उद्योगों के मध्य अंतराफलक है। इसे सरकारी धन द्वारा चलाये जा रहे शोध एवं विकास को औद्योगिक पैमाने पर लागू करने, परस्पर समंवय स्थापित करने में गर्व होगा। नवप्रवर्तन (नवोत्पाद) को भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे हाई डस्ट, चरम तापमानीय क्षेत्र, जलाभाव आदि के अनुरूप बनाना होगा ताकि प्रौद्योगिकी दुर्गम क्षेत्रों में भी अधिकतम कार्य कर सके। अतः देश में ही इनका विकास करने की आवश्यकता है।

तथापि, सेकी का भविष्य उज्ज्वल होने के उपरांत भी, कुछ ऐसे पक्ष हैं जिन पर अभी आगे विचार–विमर्श करना आवश्यक है। सेकी के धारा 25 कम्पनी से धारा 3 कम्पनी के रूप में परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इसी प्रकार, सरकार द्वारा समय पर शेयर आधान जरूरी है ताकि सेकी आवश्यक गति और विश्वसनीयता प्राप्त कर सके। मंत्रालय द्वारा प्रदत्त योजनाओं का दृढ़ीकरण, राज्यों द्वार सौर पीआरओ के सशक्त अनुपालन की क्रियाविधि तथा ऊर्जा परित्याग नेटवर्क को सशक्त करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं जहां सेकी को सभी हिस्सेदारों के समर्थन की आवश्यकता है।

संक्षेप में मनुष्य और प्रकृति के भारी असंतुलन को अत्यल्प करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा तथा उज्जवल भविष्य के लिये सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। सेकी इस दिशा में पूर्णतः प्रयासरत है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि सेकी प्रकृति अनुकूल सतत विकास को बढ़ावा देने, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने, अर्थव्यवस्था को हरित बनाने तथा हरित रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी बढ़ती हुई महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। यही कम्पनी के दृष्टि–घोषणा में कहा गया है

The year 2013-14 has been SECI's 3rd year after formation. It has grown to include a team of 35 dedicated regular employees including 5 Board level Functional Directors. This team is set to expand as new vistas of business are opened and more revenue flows in. Together, the team is successfully executing, among others, the Large-scale grid-connected rooftop PV subsidy scheme, the 750 MW solar PV programme under JNNSM Phase II, Batch I, mini-micro grid projects, solar streetlights projects and a host of consulting assignments. Other projects that would shortly enter the execution phase include Mega-scale solar plants, Solar Parks, and solar appliances for the remote areas. SECI has developed a project report for realization of 2,500 MW solar potential in Kargil. In addition, SECI has also acquired a power trading license and is going to begin trading solar power soon. SECI has signed its first MOU with MNRE fixing up firm targets under Physical, financial and other dynamic parameters and has set firm targets for the upcoming financial year. It has also tied up with prestigious institutions such as PFC, DMRC, AAI, REC, APGENCO, APIIC for various assignments and is in the process of joining hands with States to implement scheme on solar parks.

SECI is committed to the development & deployment of new technologies through commercialisation of R&D. SECI is in advanced stage of bringing tender for two 50 MW each solar thermal power pilot projects with grant support from the MNRE, and debt financing from ADB. It is a very important initiative for establishing solar thermal power in the country. SECI has also planned implementation of a first of its kind solar wind hybrid project with large battery storage to provide power to the habitants of Kaza in Lahaul Spiti District of Himachal Pradesh. With solar energy occupying increasing share in the overall energy mix in the country, it is important that maximum share of value addition in the entire supply chain takes place within the country, which would not be possible without adequate R&D focus.

SECI aims at a wide scope of activities from a long-term perspective. While adhering to the core principles that form the founding pillars of the company, it aims to be responsive to the needs of the nation and the emerging market dynamics at all times. In addition to the ongoing areas, over a longer tenure, SECI would look into innovative offerings such as Solar PV plants with storage, Hybrid plants, Steam augmentation, Concentrated PV technologies, etc. SECI being an interface between the Government and the industry, would be proud to be involved in the co-ordination and translation of public funded R&D into industrial scale applications. Innovations ought to be customised to suit India specific requirements like high dust, extreme temperature zones, water scarcity etc., which would enable technologies to perform optimally in difficult terrain. This again calls for such development within the country.

However, in spite of the promising future that SECI holds, there are several aspects that require further deliberation. The change of SECI from a Section-25 Company to a Section-3 Company is gaining urgency. Similarly, the timely infusion of equity from the government is required to provide necessary impetus and credibility. Consolidation of schemes from the Ministry, stronger compliance mechanism of solar RPOs by the States and strengthening of power evacuation network are of utmost concern. Herein, SECI needs support from all stakeholders.

To summarize, we will have to wake up to the need to mitigate the heavy imbalance between man and nature, and collectively work towards a bright future. SECI is putting all efforts towards this endeavour. Let me assure you that SECI would continue to play an increasingly important role towards encouraging nature-friendly sustainable development and assuring India's energy security in future by greening the economy and creating Green jobs. The same has been coined in the company's vision statement

"प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सौर विकीरण के द्वारा एक नवीन हरित भारत का निर्माण करना, जिससे देश को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त हो सके"

"To build a new 'Green India' through harnessing abundant solar radiation and to achieve energy security for the country."

आभार

मैं, निदेशक मंडल की ओर से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों और सरकारी विभागों से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं बैंकर्स, ग्राहक तथा अन्य पणधारियों का भी हम पर निरंतर पूर्ण आस्था तथा विश्वास रखने पर विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं।

कम्पनी को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अपने बहुमूल्य तथा उपयोगी परामर्श देने के लिये मैं बोर्ड के सहयोगियों की भी सराहना करना चाहता हूं।

आपकी कम्पनी ने जो प्रगति की है वह कर्मचारियों की मेहनत, लगन, विश्वास, वफादारी तथा सामूहिक कार्य करने से ही सम्भव हो पाई है, जो हमारी बहुमूल्य सम्पत्ति है। कम्पनी की बढ़ोत्तरी में उनके योगदान के लिये मैं बोर्ड की ओर से उनकी प्रशंसा करता हूं।

Acknowledgements

I, on behalf of Board of Directors, acknowledge with deep appreciation the co-operation and guidance received from Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Finance, other Ministries and Govt. Departments.

I wish to convey my special thanks to the bankers, clients and other stakeholders for continued confidence and trust reposed by them in your Company.

For their valuable and useful advice in taking critical decisions I would like to place on record my appreciation for my colleagues on the Board.

The progress shown by your Company has been possible only due to the hard work, commitment, faith, loyalty and team work of the employees who remains its most valuable assets. On behalf of the Board, I take this opportunity to place on record with gratitude, the appreciation of their contribution to the growth of your Company.

शुभकामनाओं सहित,

आपका
(उपेंद्र त्रिपाठी)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 12 सितम्बर, 2014

With best wishes,

Yours sincerely,
(Upendra Tripathy)
Chairman

Place : New Delhi
Date : 12th September, 2014

बैठक संबंधी सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम के सदस्यों की तृतीय वार्षिक आम बैठक दिनांक 12 सितंबर 2014 को अपराह्न 12.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय डी–3, प्रथम तल, विंग–ए, रेलिगेयर भवन, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली – 110017 में होगी।

सामान्य कामकाज

1. 31 मार्च 2014 तक के लेखा परीक्षक तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आय और व्यय सहित उस पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और स्वीकार करना।

2. वित्त वर्ष 2014–15 के लिए मैं० सूद ब्रिज एण्ड एसोसिएट्स, सांविधिक लेखापरीक्षक का मानदेय निर्धरित करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(एस के गुप्ता)
कंपनी सचिव

नई दिल्ली
05 सितंबर 2014

नोटः

1. बैठक में शामिल होने तथा मतदान करने के पात्र सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में शामिल होने तथा मतदान करने के लिए परोक्षी (प्रॉक्सी) नियुक्त करने का अधिकार है और परोक्षी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म संलग्न है।

NOTICE OF THE MEETING

Notice is hereby given that Third Annual General Meeting of Members of the Solar Energy Corporation of India is scheduled to be held on 12th September, 2014 at 12:30 hrs in the Registered Office of the Company at D-3, First Floor, Wing A, Religare Building, District Centre, Saket, New Delhi – 110 017.

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as at 31st, March 2014 and Statement of Income and Expenditure for the financial year ended on that date together with Report of the Board of Directors and Auditors thereon.

2. To fix the remuneration of M/s. Sood Brij & Associates, the Statutory Auditors for the Financial Year 2014-15.

By Order of the Board of Directors

(S.K. Gupta)
Company Secretary

New Delhi
5th September, 2014

NOTE:

1. A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself/herself and proxy need not be a Member of the Company. A proxy form is enclosed.

निदेशकों की रिपोर्ट 2013–14

प्रिय सदस्यगण

निदेशकों को लेखाओं के लेखा–परीक्षित विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये कम्पनी की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। जैसे कि हमने पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में उल्लेख किया था, आपकी कम्पनी की स्थापना सौर ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने तथा मुख्यतया भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हुई थी।

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं:

1. सोलर पार्कों सहित चरम मेगा सौर सन्यंत्रों का बड़ी मात्रा में विकास करना
2. ग्रिड सम्बद्ध तथा आफ ग्रिड सौर प्रतिष्ठानों का स्वामित्व, संचालन, विकास तथा प्रबंधन करना।
3. सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रों तक ऊर्जा की उपलब्धता के कार्यक्रम शुरु करना।
4. सौर ऊर्जा में नई प्रोद्योगिकी तथा शोध एवं विकास को व्यावसायिक रूप में प्रोत्साहन देना।
5. सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिये ऊर्जा का आदान–प्रदान, वितरण तथा व्यवसाय करना।
6. पारम्परिक तथा अक्षय ऊर्जा की अविभाज्यता को प्रोत्साहित करना तथा देशभर में प्रतिष्ठान स्थापित करना।

इन प्राथमिक उद्देश्यों के साथ, कंपनी ने परियोजनाओं के एक व्यापक रेंज पर कार्य शुरू किया है, जो कि संक्षिप्त में निम्नानुसार हैं :–

आरम्भ की गई योजनायें:

2013–14 का वर्ष निगम के लिये महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इस वर्ष सेकी की क्रियाविधियों में दर्शनीय विस्तार हुआ है। पूर्व वर्षों में जिन परियोजनाओं की अवधारणा की गई थी, उन्हे सफलता पूर्वक आकार प्रदान कर वास्तविकता में परिणत किया गया है। हमने नये क्षेत्रों में प्रवेश किया है तथा जारी गतिविधियों का भी विस्तार किया है। हमने बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनायें भी तय की हैं। प्रत्येक गतिविधि की प्रगति का विवरण इस प्रकार है।

I. जारी परियोजनायें :

1. वीजीएफ वित्तपोषण माध्यम के अंतर्गत 750 मेगावाट की एसपीवी ग्रिड सम्बद्ध परियोजनायें

सेकी को जेएनएनएसएम के द्वितीय चरण बैच–I के अन्तर्गत 750 मेगावाट सौर पी.वी. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये मुख्य एजेंसी के रूप में चुना गया है जिसमें परियोजना चयन, देखरेख, समयबद्ध निष्पादन, वीजीएफ फंड रख–रखाव तथा उत्पन्न ऊर्जा का व्यापार करने का पूर्ण दायित्व दिया गया है। इस सम्बंध में 750 मेगावाट परियोजना को वीजीएफ आधारित विपरीत बोली की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा चुना गया है जिसमें से 375 मेगावाट को घरेलू आवश्यकताओं की स्वीकृति प्राप्त थी। 750 मेगावाट क्षमता की प्रस्तुति के प्रत्युत्तर में 2170 मेगावाट की बोली प्राप्त हुई। वर्तमान में 700 मेगावाट क्षमता की 45 परियोजनाओं के लिये विभिन्न सौर ऊर्जा विकासकों के साथ ऊर्जा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इनका वित्तीय क्लोज़र 28 अक्टूबर, 2014 को होगा। अन्य ऊर्जा वितरकों, प्राप्तकर्ता कम्पनियों के साथ ऊर्जा बिक्री समझौते भी हस्ताक्षर होने की प्रक्रिया में हैं। आज तक 270 मेगावाट क्षमता पर ऊर्जा बिक्री समझौतों पर हस्ताक्षर हो गये हैं जबकि शेष क्षमता के लिये ऊर्जा बिक्री समझौते निर्णयात्मकता की अग्रिम अवस्था तक पहुंच गये हैं। चयनित परियोजनाओं को अप्रैल 2015 तक चालू करने का समय दिया गया है।

DIRECTORS' REPORT 2013-14

Dear Members,

Your Directors are pleased to present Third Annual Report of the Company for the year ended 31st March 2014 along with the Audited Statement of Accounts, Report of Auditors and Comments of Comptroller and Auditor General of India. As we stated in our previous Annual Reports, your Company was established for the development of the solar energy sector, mainly to fulfil the goals set by the Government of India through various schemes / programmes.

The Main Objectives of the Company are:

1. To Develop Ultra Mega and Large scale solar plants including Solar Parks.
2. To Own, operate, develop & manage both grid connected & off grid solar installations.
3. To take up energy access programs for rural and remote areas through solar energy.
4. To promote new technologies in Solar and R&D leading to commercialization.
5. To exchange, distribute & trade power in furtherance of goals set by the Government.
6. To promote integration of solar with conventional & renewable power and set up Installations across the country.

In line with these primary objectives, the company has undertaken assignments over a broad range of projects. The same is presented in brief below.

PROJECTS INITIATED

The year 2013-14 has been a significant Year for the Corporation. This year has seen a marked expansion in SECI's range of assignments. Many projects that had been conceptualised in the previous years have successfully borne shape and have become ground realities. We have ventured into new areas, as well as expanded the scale of ongoing activities. We have also drawn up plans for bigger and more ambitious projects. The report on the progress of each of these activities is as under.

I. ON-GOING PROJECTS

1. 750 MW SPV grid-connected projects under VGF funding route

SECI has been designated as the nodal agency for the implementation of 750 MW of Solar PV Projects under JNNSM Phase II, Batch-I with the entire responsibility of projects selection, monitoring and timely execution, handling VGF funds and trading of the power generated. In this regard, 750 MW of projects have been selected through a transparent process of VGF-based reverse bidding, out of which 375 MW had the mandate of domestic content requirement. Bids for 2170 MW were received against the offered 750 MW capacity. Presently, Power Purchase Agreements (PPA) for 700 MW have been signed with various Solar Power Developers for 45 projects, that are due for financial closure on 28th October, 2014. Signing of Power Sale Agreements (PSA) with several Power Distribution/Procurement companies is under process, and till date PSAs for 270 MW capacities have been signed, while PSAs for the balance capacity are under advanced stage of finalisation. The selected projects have time for commissioning by April, 2015.

2. ग्रिड सम्बद्ध छतोपरि (रूफ–टॉप) योजना

एमएनआरआई ने 500 किलो वाट क्षमता के बड़े पैमाने पर ग्रिड सम्बद्ध छतोपरि सौर ऊर्जा सन्यंत्र स्थापित करने की प्रायोगिक योजना का काम सेकी को सौंपा है जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष ने एमएनआरई के माध्यम से 30% सब्सिडी प्रदान की है। अभी तक इस योजना के तीन चरणों को सफलतापूर्वक शुरु किया जा चुका है तथा भारत के **16 बड़े शहरों** के 24 चयनित बोलीकारकों को कुल **26.8 मेगावाट** क्षमता आबंटित कर दी गई है। लगभग **15 मेगावाट** क्षमता की छतोपरि सौर परियोजनाओं की अनुज्ञा विकासकों के द्वारा छतें चिन्हित करने के उपरांत प्रदान कर दी गई है जो निष्पादन की स्थिति तक पहुंच चुकी हैं। अभी तक **8 मेगावाट** की परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ प्रतिष्ठानों के नाम इस प्रकार हैं जहां परियोजनायें पूर्ण हो गई हैं :

1. सेना प्रतिष्ठान, पुणे–150 किलोवाट
2. भारतीय मानक ब्यूरो, दिल्ली–50 किलोवाट
3. दिल्ली मैट्रो रेल निगम, सेक्टर 21 स्टेशन, द्वारका–500 किलोवाट
4. अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, कश्मीरी गेट–130किलोवाट
5. आई.आई.टी. मद्रास, चेन्नई–300 किलोवाट
6. नेल्को भवन, भुवनेश्वर–160 किलोवाट
7. राष्ट्रीय अडवान्स विज्ञान संस्थान, चेन्नई–100 किलोवाट
8. योजना आयोग, दिल्ली–80 किलोवाट

इस योजना के अंतर्गत देश भर में अनेक सरकारी कार्यालयों, पीएसयू, वाणिज्यिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग, हस्पताल आदि 65 से अधिक स्थानों पर ग्रिड सम्बद्ध रूफटॉप एसपीवी ऊर्जा सन्यंत्र स्थापित किये जा रहे हैं।

इसी के साथ ही, हाल ही में लगभग 50 मेगावाट क्षमता वाली इस योजना का चौथा चरण शुरु किया गया है। बोली की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा चयनित बोलीकारकों को शीघ्र ही आबंटन पत्र जारी कर दिये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त भारतीय विमानपत्तनन प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका के साथ भी छतोपरि सौर ऊर्जा परियोजना को अपने प्रतिष्ठानों में लागू करने के लिये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो गये हैं। सेकी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य सरकारी क्षेत्रों के साथ भी सहभागिता/परियोजना करने की प्रक्रिया में रत है।

3. ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु लघु/सूक्ष्म ग्रिड परियोजनाओं का विकास

सेकी उन क्षेत्रों में 500 किलोवाट क्षमता की लघु/सूक्ष्म ग्रिड परियोजनाओं को लागू कर रहा है जो ग्रिड से जुड़े हुए नहीं हैं अथवा जहां बिजली आपूर्ति अनियमित है। ये परियोजनायें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की, उनकी समष्टि सामाजिक दायित्व गतिविधियों के अंतर्गत, वित्तीय सहायता से लागू हो रही हैं। हरियाणा के तीन गांवों के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जिनके लिये समष्टि सामाजिक दायित्व गतिविधियों के अंतर्गत पीएफसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस सम्बंध में पीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड के 17 गावों के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा उन्हें एमएनआरई को जेएन एनएसएम के तहत एनसीईएफ से सब्सिडी के लिये प्रस्तुत किया जा चुका है।

इन परियोजनाओं को क्रियांवित करने के लिये 19 बोलीकारकों को सूचिबद्ध किया गया है। इन सूचिबद्ध बोलीकारकों से हरियाणा के तीन गांवों में लगभग 101 किलोवाट क्षमता के लिये निविदा आमंत्रित किये गये। चयनित बोलीकारकों को शीघ्र ही आशय पत्र जारी किए जाएंगे।

2. Grid Connected Roof-top Scheme

SECI has been entrusted by MNRE for implementation of a Pilot Scheme for Installation of Large scale Grid connected Rooftop Solar Power Plants up to size of 500 KWp with 30% capital subsidy from National Clean Energy Fund (NCEF) through MNRE. So far three phases of the scheme have been launched successfully and an aggregate **26.8 MWp** capacity has been allocated among 24 selected bidders covering **16 big cities** of India. Around**15 MWp** rooftop solar projects have been sanctioned after identification of roof by the developers and are under execution stage. About **8 MWp** projects have been completed so far. Few completed installations are listed below:

1. Army Institute, Pune (150 kWp),
2. Bureau of Indian Standards, Delhi (50 kWp),
3. DMRC, Sec 21 Metro Station, Dwarka, Delhi (500 kWp),
4. ISBT Kashmere Gate, Delhi (130 kWp),
5. IIT Madras, Chennai (300 kWp),
6. NALCO Bhawan, Bhubaneshwar (160 kWp),
7. National Institute of Advance Science, Chennai, (100 kWp)
8. Planning Commission, Delhi (80 kWp) etc.

More than 65 Nos. of grid connected rooftop SPV power plants are being installed across the country under the scheme covering various Government offices, PSUs, Commercial Establishments, Educational Institutions, Industries, Hospitals etc.

In continuation to this, phase IV of the scheme with aggregate 50 MWp capacity has been launched recently. The bidding process has been completed and Letter of Allocations are to be issued to the selected bidders shortly.

Furtherance to this, MoUs have been signed with Airports Authority of India (AAI), Delhi Development Authority (DDA) and New Delhi Municipal Corporation (NDMC) for large scale rooftop solar projects on their establishments. SECI is also in the process of collaboration/project execution with other PSUs/Government bodies.

3. Development of Mini/Micro Grid projects for Rural Electrification

SECI is implementing Solar PV based Mini/Micro Grid projects up to size of 500 kWp covering areas which are either not connected to the grid or where electricity supply is erratic. The projects are being implemented through financial support from PSUs under their CSR/Sustainable Development activities. DPRs for 3 villages of Haryana have been prepared for which PFC is providing financial assistance under their CSR activities. MoU in this regard have been signed with PFC.

In addition to this DPRs for 17 villages of Uttarakhand have been prepared and submitted to MNRE for seeking subsidy through NCEF under JNNSM.

19 bidders have been empanelled for implementing these projects. Tenders have been invited from the empanelled bidders for an aggregate 101 kWp capacity for 3 villages in Haryana. Letter of Award will be issued to the selected bidder shortly.

4. सौर सड़क रोशनी की स्थापना

सेकी झारखण्ड में 400 सड़क योजनायें लागू कर रहा है जिन्हे पीएफसी की समष्टि सामाजिक दायित्व के अंतर्गत वित्त पोषित किया जा रहा है। कार्यकारी एजेंसियों का चयन प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के आधार पर हुआ था। 240 सड़क रोशनी स्थापित भी हो चुकी हैं।

5. जीआईज़ेड के समंवय से सौर दिशा–निर्देशों का निर्धारण

सौर दिशा–निर्देश वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार है ताकि व्यापक सौर नीतियों तथा परियोजनाओं से जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान की जा सके। जीआईज़ेड के द्वारा सौर निर्देशों के प्रथम चरण की परियोजनायें लागू हो चुकी हैं तथा द्वितीय चरण की योजनायें सेकी द्वारा लागू की जा रही हैं। सेकी ने वेब–साईट के विषय–वस्तु–प्रबंधन का दायित्व लिया है। वेबसाईट की विषय–वस्तु में सेकी की सहायता करने के लिए प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के जरिए सलाहकार का चयन किया गया है और आंकड़ों को अघतन करना शुरु कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों की नोडल एजेंसियों के साथ, उन्हे इस पहल की जानकारी देने तथा उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिये एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

6. सौर लालटेनों का विकास एवं बिक्री

एम.एन.आर.ई. ने 6 लाख कम लागत की सौर लालटेनों का विकास करने के लिये एक योजना शुरु की है जिसे सेकी उन विक्रेताओं के माध्यम से क्रियांवित कर रहा है जिनका चयन खुली निविदा प्रतियोगी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। सेकी ने इन लालटेनों के लिये तकनीकी विनिर्देश पूर्वनिर्धारित कर लिये हैं। अधिक मात्रा में खरीदी जाने के कारण ये कम लागत पर उपलब्ध हो सकेंगी। इस विषय–क्षेत्र में दो मॉडल की सौर लालटेन होंगी–एकदिशीय और सर्वदिशीय।

इन लालटेनों का वितरण भारत के पिछड़े जिलों में किया जायेगा। वितरण के क्षेत्र में कई मॉडलों पर कार्य किये जा रहे हैं जैसे–पीएसयू की सीपीआर निधियों का उपयोग, राज्य नोडल एजेंसियां तथा स्थानीय जिला प्रशासन और तेल क्षेत्र के पीएसयू की वितरण प्रणाली। समष्टि सामाजिक दायित्व सतत विकास गतिविधियों के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से भी समर्थन प्राप्त करने के लिये गठजोड़ किया जा रहा है।

आरईसी ने 1.5 लाख सौर लालटेनों को प्राप्त करने के लिये 17.2 करोड़ रुपये अनुमोदित किये हैं। इन लालटेनों का वितरण आंध्र–प्रदेश तथा उड़ीसा के पिछड़े जिलों में किया जायेगा। इस सम्बंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इन लालटेनों के मूलरूप का विकास हो चुका है।

7. एनआईएसई, ग्वालपहाड़ी पर अंशशोधन प्रयोगशाला सुविधा

सेकी द्वारा सौर ऊर्जा के राष्ट्रीय संस्थान में सौर विकीरण विमापक संवेदक अंशशोधन प्रयोगशाला सुविधा की स्थापना की जा रही है। इस यंत्र की तकनीकी विशिष्टतायें तय की जा रही हैं।इसे प्राप्त करने के लिये वैश्विक निविदा भी निकाली गई। बोली का मूल्यांकन करने के उपरांत विक्रेता चयनित कर लिया गया है।

8. परामर्श कार्य

सेकी ने परामर्श प्रदान करने के अनेक कार्यों का बीड़ा उठाया है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:–

1. सुदूर क्षेत्रों में स्थित 25 नवोदय विद्यालयों के लिये सौर जल तापन तथा वायु तापन प्रणालियों के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
2. ग्रिड सम्बद्ध सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने के लिये 8 आयुध कारखानों,ओटीपीसी, तथा फिनोलेक्स के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
3. योजना आयोग तथा आईएसबीटी कश्मीरी गेट को स्वामित्व आभियांत्रिक सेवा प्रदान करना।
4. कलिंग समाज विज्ञान संस्थान, हिन्दुस्तान एरोनोटिक लिमटेड तथा पाण्डेचेरी पावर कॉरपोरशन लिमटेड के लिये परियोजना प्रबंधन परामर्श।

4. Installation of Solar Street Lights

SECI is implementing 400 solar street lights in Jharkhand, being funded under the CSR activities of PFC. The executing agency was selected through a competitive bidding process, and 240 Streetlights have already been installed.

5. Preparation of Solar Guidelines in coordination with GIZ

The Solar Guidelines web-portal is envisaged to provide comprehensive solar policy and projects related information at a single place. Phase-I of the Solar Guidelines project had been implemented by GIZ and the second phase covering ten states is being implemented by SECI. SECI has taken responsibility of content management of the website. A consultant for helping SECI in the website content has been selected through a competitive bidding process and updation of data has started. A workshop was held with various State Nodal Agencies with a view to inform them about this initiative and solicit their active cooperation.

6. Development and Sale of Low-cost Solar Lanterns

MNRE has launched a scheme for the development of 6 (six) lakhs low cost Solar lanterns which is being implemented by SECI through vendors selected through an open tender competitive process. The technical specifications for these lanterns were prepared by SECI, and these would be available at low price due to large volume being procured. The scope include two models of solar lanterns i.e. Unidirectional and Omnidirectional.

These lanterns will be distributed in the backward districts of India. On the distribution side, different models are being worked out such as utilizing the CSR funds of PSUs, SNAs and local district administration and distribution channels of Oil PSUs. Efforts are being made to tie-up with various PSUs for support under their CSR/sustainable development activities.

REC has sanctioned Rs. 17.2 Cr for the procurement of 1.5 Lakhs solar lanterns to be distributed in the backward districts of Andhra Pradesh and Odisha. MoU in this regard has been signed. Prototypes of these lanterns have been developed.

7. Calibration Lab facility at NISE, Gwalpahari

A calibration facility for solar radiation measuring sensors at National Institute of Solar Energy (NISE) is being set up by SECI. Technical specifications of the equipment to be procured were prepared, and a global tender for their procurement was brought out. The vendor has been selected after evaluation of bids.

8. Consultancy Assignments

A host of consultancy assignments have been undertaken by SECI. Some of these include:

1. Preparation of Detailed Project Reports (DPR) for 25 NVS schools, in remote locations, for Solar Water Heating Systems and Solar Air Heating Systems.
2. Preparation of DPRs for setting of grid connected solar power projects at 8 Ordinance Factory sites, OTPC and Finolex.
3. Owners' engineering services to Planning Commission and ISBT Kashmere Gate.
4. Project Management Consultancy to Kalinga Institute of Social Sciences, Hindustan Aeronauts Limited and Pondicherry Power Corporation Limited.

5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के खुदरा बिक्री के लिये ऑफ–ग्रिड योजना तैयार करना।

II. आगामी परियोजनायें

1. अल्ट्रा–मेगा सोलर पॉवर परियोजना तथा सौर पार्क

सेकी देश के विभिन्न स्थानों पर 500 मेगावाट क्षमता से अधिक के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा विद्युत परियोजनायें बनाने की योजना तैयार कर रहा है। राजस्थान में 6 सार्वजनिक उपक्रमों जैसे भेल, एचएसएल, जेएसवीएनएल, पीजीसीआईएल, एसईसीआई और आरईआईएल के साथ परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गये है। जेवी की बनावट प्रगति पर है।

रेवा, मध्य–प्रदेश में 750 मेगावाट सौर यूएमएसपीपी की योजना बन रही है जिसके लिये सेकी तथा मध्य–प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सेकी एमएनआरई की सौर पार्क की एक योजना को लागू करेगा। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 25 पार्क विकसित करने का लक्ष्य है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा कर्नाटक में भी सौर पार्क विकसित करने की पहल की गई है। इसके लिये जेवीसी को सुसाध्य बनाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन तैयार किये जा रहे हैं।

2. सीएसपी प्रायोगिक परियोजनायें

सेकी 50–50 मेगावाट क्षमता की दो सीएसपी प्रायोगिक परियोजनायें स्थापित करेगा। एक संकर शीतलन के साथ तथा दूसरी उच्च तापमान के साथ। दोनों परियोजनाओं में लगभग 3 घण्टे का ऊष्मीय संग्रहण होगा तथा इन्हे 15% पूरक ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करने की भी अनुमति है। इनका निधियन एशिया विकास बैंक तथा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा फंड से ऋण लेकर होगा। इनके तकनीकी विन्यास तैयार कर लिये गये हैं। निविदा पत्र बनाये जा रहे हैं तथा कार्यस्थल निर्धारित कर लिये गये हैं।

3. ग्रिड सम्बद्ध सौर ऊर्जा परियोजना

सेकी जेएनएनएसएम के चरण–1 के तहत अगर , मध्य–प्रदेश में 10 मेगावाट क्षमता का सौर सन्यंत्र लगाने के कार्य को कार्यान्वित कर रहा है इसके लिये परियोजना स्थल निर्धारित कर लिया गया है।

4. शोध एवं विकासः सौर–वायु बैटरी एकीकृत प्रदर्शन परियोजना

सेकी हिमाचल प्रदेश मे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के सहयोग से 2.5 मेगावाट क्षमता का प्रदर्शन सन्यंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह परियोजना देश में अपने आप में विशिष्ट है जिसमें वृहद बैटरी संग्रहण के साथ वायु तथा लघु जलीय के साथ सोलर पीवी का संकरण किया जायेगा।

III. मानव संसाधन प्रबंधन

1 मानव संसाधन

प्रतिभा प्रबंधन किसी संगठन के प्रभावी होने में समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। हमारी कम्पनी एक कूटनीतिक व्यापारिक साझेदार के रुप में मानव संसाधन के कार्य में सुधार लाने के लिये निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान में सेकी की स्थायी कर्मचारियों की संख्या 35 है। सभी कार्यकारी और पर्यवेक्षी ग्रेड में हैं। वर्ष भर समय–समय पर जन शक्ति योजना का पुनरावलोकन तथा समीक्षा प्रक्रिया चलती रही तथा बड़े पैमाने पर भर्तियों पर नीतिगत नियंत्रण रखा गया जिस कारण से कर्मचारियों की दक्षता तथा उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। रोजगार सम्बंधों को सुधारने हेतु प्रगतिशील कार्मिक नीतियों का निर्माण, कर्मचारियों की देखभाल तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी इस वर्ष लागू किया गया। कम्पनी ने मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के अनुरूप मानव संसाधन प्रबंधन के मानदण्डों के अंतर्गत निश्चित लक्ष्य निर्धारित किये हैं जिसमें अंततः जनशक्ति की उत्पादकता, प्रशिक्षण तथा विकासात्मक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।

5. Off-grid scheme preparation for retail outlets of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. /Indian Oil Corporation Ltd.

II. UPCOMING PROJECTS

1. Ultra Mega Solar Power Projects and Solar Parks

SECI is planning to set up Ultra mega solar power projects (capacities more than 500 MW) in several locations across the Country. An MoU has been signed between 6 PSUs, namely BHEL, HSL, SJVNL, PGCIL, SECI and REIL for a project in Rajasthan. JV formation is in progress.

A 750 MW solar UMSPP is being planned at Reva, Madhya Pradesh, for which MoU between GoMP and SECI is under finalization.

SECI will be implementing a MNRE Scheme on Solar Parks. The schemes aims at to develop 25 such parks in a duration of about 5 years. Initiatives have already been taken to develop Solar Parks in the States of Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Karnataka. Draft MoUs to facilitate incorporation of JVCs with the State Designated Agencies have been prepared.

2. CSP Pilot Projects

SECI would be setting up two CSP pilot projects of 50 MW each- one with hybrid cooling and the other with high operating temperature. Both the projects would have atleast 3 hours thermal storage, and would be allowed to use upto 15% auxiliary energy source. These are proposed to be funded with loan from Asian Development Bank and grant from National Clean Energy Fund. The technical configurations have been firmed up and tender documents are being prepared. Sites have been identified.

3. Grid Connected Solar Power Projects

SECI will be implementing a 10 MW Solar plant at Agar, Madhya Pradesh under JNNSM Phase-I. Project site has been finalised.

4. R&D: Solar-wind-battery integrated demonstration project

SECI is planning to set up a 2.5 MW capacity demonstration plant at Himachal Pradesh, in collaboration with HPSEB. The project is one of its kind in the country in doing large battery storage and hybridization of Solar PV with wind and small hydro.

III. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

1. Human Resource

Talent Management is considered as an equally important facets of an organisation effectiveness. Our Company has been making a constant endeavour to improve the functioning of HR as a strategic business partner. SECI has a total permanent staff strength of 35 as on date. All of them are in Executive and Supervisory grades. Manpower Planning and review exercise were undertaken periodically during the year, and a strategic control over large scale recruitment were made, which has made a credible improvement in employee productivity and employee efficiency. Development of progressive Personnel Policies by way of framing of various Rules for regulating the employment relationships, welfare, and social security of the employees have been undertaken during the year. Company has also fixed specific targets under HRM parameters in the MoU signed with the Ministry, which inter-alia gives tremendous focus on manpower productivity and training & development activities.

2. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

इस वर्ष सेकी ने राजभाषा निर्देशों के अनुपालन तथा क्रियांवयन के लिये अनेक कदम उठाये हैं तथा हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने की दृष्टि से काफी सुधार हुआ है। सेकी ने समष्टी विषय–वस्तु तथा इंटर्नेट साईट को द्विभाषीय रूप में बनाया है। सितम्बर 2013 में राजभाषा सप्ताह मनाया गया।

3. कर्मचारियों का ब्यौरा

31 मार्च 2014 तक कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 217(2–ए) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, तकनीक आत्मसातन, विदेशी मुद्रा की आय तथा बाह्य–गमन तथा कर्मचारियों के वेतन विषयक कोई सूचना शून्य है।

IV. लेखा की लेखा–परीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने मैसर्स सूद ब्रिज एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाऊंटेंट को सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट **अनुलग्न– क** में दी गई है। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया। सी एण्ड ए जी की टिप्पणियां **अनुलग्नक – ख** में दी गई हैं। सी एण्ड ए जी की "शून्य" टिप्पणी होने पर प्रबंधन का उत्तर लागू नहीं हैं।

V. निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन की रिपोर्ट **अनुलग्नक–ग** में दी गई है जो इस रिपोर्ट का ही भाग है।

VI. निदेशक उत्तरदायित्व विवरण

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिये वार्षिक लेखों की तैयारी में निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि :–

- सामग्री निकासी, यदि कोई हो, से सम्बंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया था।
- निदेशकों ने लेखों पर टिप्पणियों में बताये गये के अलावा, ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और लगातार उनका प्रयोग किया तथा निर्णय और अनुमान लगाये जो कि उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के मामलों का उचित स्वरूप सामने आ सके।
- कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवम् पता लगाने के लिये कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के प्रबंधन हेतु उचित और पर्याप्त ध्यान रखा।
- निदेशकों ने चालू मामला आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया।

VII. आभार

निदेशक मण्डल नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय,नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कार्यालय , सांविधिक लेखा परीक्षक, आन्तरिक लेखा परीक्षक, विश्व बैंक, एडीबी, इंडियन बैंक, सभी ग्राहकों और कर्मचारियों सहित सभी हिस्सेदारों द्वारा दिये गये सहयोग, मार्गदर्शन के लिये आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

राजेंद्र निमजे
प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12 सितम्बर, 2014

2. Implementation of Official Language

During the year SECI has also undertaken special measures to adopt and implement the Rajbhasha guidelines, and it has made tremendous improvement in implementation of Hindi in its official functioning. SECI has made the content of corporate and internet sites available bilingually. Rajbhasha week was organised in September 2013.

3. Particulars of Employees

Information on Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo and Information on Employees Remuneration u/s 217(2A) of the Companies Act 1956 as on 31st March 2014 is NIL.

IV. AUDIT OF ACCOUNTS

M/s Sood Brij & Associates, Chartered Accountants, were appointed as Statutory Auditors for the year 2013-14 by the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi. The Report of Statutory Auditors is placed at **Annexure-A**. No Qualifications were made by the Statutory Auditors. Comments of C&AG are placed at **Annexure-B.** Comments of C&AG being "nil", replies by the Management is not applicable.

V. CORPORATE GOVERNANCE

A report on the Corporate Governance, forming part of this report is given in **Annexure-C** to this report.

VI. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March 2014

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- That the directors have selected such accounting policies and applied them consistently except as disclosed in the Notes on Accounts and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year;
- That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with provisions of the Companies Act for safe guarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities, and;
- That the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

VII. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors acknowledges with deep appreciation the co-operation and guidance extended by Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Finance, Office of the Comptroller and Auditor General, Statutory Auditors, Internal Auditors, World Bank, ADB, Indian Banks, all Customers and all other stake holders including all employees.

By Order of the Board of Directors

(Rajendra Nimje)
Managing Director

Place: New Delhi
Date: 12thSeptember 2014

लेखा परीक्षा रिपोर्ट
Auditor's Report

सेवा में,
भारतीय सौर ऊर्जा निगम के सदस्यगण, नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों सम्बंधी रिपोर्ट

हमने **भारतीय सौर ऊर्जा निगम** (कम्पनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31, मार्च, 2014 के अनुसार तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के आय और व्यय का विवरण और महत्वपूर्ण लेखापालन नीतियों का सार और लेखों पर टिप्पणियों के साथ साथ अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरादायित्व

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिये उत्तरदायी है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में दिये गये लेखापालन मानकों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन की वास्तविक और उचित राय देते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुतीकरण से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यावयन और रख–रखाव शामिल है जो वास्तविक और सही विवरण देते हैं तथा गलत विवरण नहीं देते जो चाहे धोखाधड़ी, गलती अथवा अन्य किसी कारण से हो।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा आधरित इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों में आवश्यकता है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें और वित्तीय विवरण सामग्री गलत तो नहीं है, इसे सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा करें।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और निपटानों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु की जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चुनी हुई प्रक्रिया वित्तीय विवरणों के वस्तु पूरक गलत विवरण, चाहे वह धोखा धड़ी अथवा गलती के कारण हों के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है। उन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखा परीक्षक परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा बनाने में कम्पनी की तैयारी और सही प्रस्तुतीकरण से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखता है। लेखा परीक्षा में लेखा पालन नीतियों की उपयुक्ता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करने के साथ साथ प्रबंधन द्वारा किये गये लेखा पालन अनुमानों की तर्कसंगतता भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत हेतु आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अभिमत

हमारे विचार से और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अपेक्षित पद्धति में अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं और भारत के सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापालन सिद्धांतों की पुष्टि की दृष्टि से सही और उचित मत प्रस्तुत करते हैं :–

(1) तुलन पत्र के मामले में, दिनांक 31, मार्च, 2014 के अनुसार कम्पनी के मामलों संबंधी;

(2) आय व्यय के विवरण के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिये हानि ; और

To,
The Members of Solar Energy Corporation of India, New Delhi

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **Solar Energy Corporation of India** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2014, the Statement of Income And Expenditure of the Company for the year ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information along with notes on accounts

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the Company in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ('the Act'). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud, error or otherwise.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide s basis for our audit opinion.

Opinion

in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally in India:

(1) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 2014 ;

(2) in the case of the Statement of Income And Expenditure, of the Loss for the year ended on that date; and

अन्य वैधिक और विनियामक आवश्यकताओं सम्बंधी रिपोर्ट

जैसा कि अधिनियम की धारा 227 (3) में अपेक्षित है हम रिपोर्ट देते हैं कि :–

क. हमने वे सभी सूचना और तथ्य प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु हमारी जानकारी और विश्वास के लिये जरूरी थे;

ख. हमारे विचार से कम्पनी द्वारा कानून के अनुसार खातों की उचित पुस्तिकायें रखी गई हैं, जैसा की उन पुस्तिकाओं की हमारी जांच से पता चलता है ;

ग. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाया गया तुलन पत्र तथा लाभ और हानि का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप है और;

घ. हमारे विचार से तुलन पत्र और लाभ तथा हानि का विवरण कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3 सी) में उल्लिखित लेखापालन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ. दिनांक 31 मार्च ,2014 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर और निदेशक मण्डल द्वारा रखे गये रिकार्ड के अनुसार 31 मार्च, 2014 तक किसी भी निदेशक को कम्पनी एक्ट 1956 के खण्ड 274 के उपखण्ड (1) के उपबंध (छ) के अनुसार निदेशकों के तौर पर नियुक्त किये जाने के अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

कम्पनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003(सीएआरओ) भारत सरकार द्वारा अधिनियम के खण्ड 277 के उपखण्ड 4(क) के अनुसार जारी कम्पनी (लेखा परीक्षा) रिपोर्ट (संशोधन) आदेश 2004(आदेश) द्वारा यथा संशोधित, के अंतर्गत हमें कोई व्यक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत कार्य करने हेतु लाईसेंसकृत है।

कृते सूद ब्रिज एण्ड एसोशिएट्स
चार्टेड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या : 00350 एन

एं.के. सूद
भागीदार सदस्यता संख्या 14372

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :18 जून, 2014

Report on other Legal and Regulatory Requirements

As required by section 227(3) of the Act, we report that:

a. we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b. in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;

c. the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss dealt with by this Report are in agreement with the books of account; and

d. in our opinion, the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss comply with the Accounting Standards referred to in subsection (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956.

e. on the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2013, and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March, 31, 2014, from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act,1956.

No statement is required to be made by us under the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 (CARO), as amended by the Companies (Auditor) Report (amendment) order 2004 (the order) issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Act., as it is a company licensed to operate under section 25 of the companies Act, 1956

For Sood Brij & Associates
Chartered Accountants
FRN No. : 00350N

A.K.SOOD
Membership No.: 014372

Place : New Delhi
Dated : 18th June 2014

परिशिष्ट

भारतीय सौर ऊर्जा निगम, नई दिल्ली की 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट पर :

1. 18 जून, 2014 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को **"स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट"** पढ़ा जाये।

2. रिपोर्ट के पैरा 'सी' **अन्य कानूनी तथा नियमन आवश्यकताओं** के अंतर्गत लाभ और हानि के विवरण को आय और व्यय का विवरण पढ़ा जाये।

3. रिपोर्ट के पैरा 'डी' **अन्य कानूनी तथा नियमन आवश्यकताओं** में लाभ और हानि के विवरण को आय और व्यय का विवरण पढ़ा जाये।

कृते सूद ब्रिज एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ आर एन 00350 एन

एं.के. सूद,
साझेदार
एम न. 014372

स्थानः नई दिल्ली
दिनाक : 24 जुलाई 2014

Addendum

To the Auditors Report to the Solar Energy Corporation of India New Delhi for The Financial Year Ended 31st March 2014

(1) Auditors Report dated 18th June, 2014, should read **Independent Auditors' Report.**

(2) Para 'c' of Report on **Other Legal and Regulatory Requirements** should read Statement of Income and Expenditure instead of Statement of Profit and Loss.

(3) Para 'd' of Report on **Other Legal and Regulatory Requirements** should read Statement of Income and Expenditure instead of Statement of Profit and Loss.

For Sood Brij & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 00350N

A K Sood
Partner
M. No. 014372

Place : New Delhi
Dated : 24th July 2014

दिनांक 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिये भारतीय सौर ऊर्जा निगम, नई दिल्ली के लेखों के सम्बंध में कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी एक्ट 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय विवरण मानदण्डों के अनुसार दिनांक 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिये भारतीय सौर ऊर्जा निगम, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 227 के तहत अपने व्यावसायिक निकाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षक एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार किये गये स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने हेतु जिम्मेदार है। यह बताया गया है कि उन्होंने दिनांक 24 जुलाई, 2014 को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत ऐसा किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 619(3) के आधार पर भारतीय सौर ऊर्जा निगम, नई दिल्ली के 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के वित्त विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र तथा बिना सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य–पत्र की है। यह लेखा परीक्षा मुख्यतया सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्मिकों से बातचीत तथा कुछ चुने हुए लेखा रिकार्डस की परीक्षा तक सीमित है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं आया जिस पर मेरी टिप्पणी की आवश्यकता हो अथवा वह सांविधिक लेखा परीक्षकों की कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा 619 (4) की रिपोर्ट की पूरक हो।

भारत के नियंत्रक और
महालेखाकार की ओर से

तनूजा मित्तल

(तनूजा एस मित्तल)
प्रधान निदेशक
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड – III,
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त 2014

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF SOLAR ENERGY CORPORATION OF INDIA, NEW DELHI, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2014.

The preparation of financial statements of Solar Energy Corporation of India, New Delhi, for the year ended 31st March 2014 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with Standards on Auditing prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 18 June 2014 and addendum dated 24, July 2014.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Solar Energy Corporation of India, New Delhi, for the year ended 31 March 2014. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under Section 619(4) of the Companies Act, 1956

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Tanuja Mittal

(Tanuja S. Mittal)
Principal Director of
Commercial Audit & Ex-officio Member,
Audit Board - III,
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 13 August 2014

कंपनी प्रशासन पर रिपोर्ट

कम्पनी, जे एन एन एस एम में निर्धारित सतत एवं दूरगामी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विवेक, खुलेपन, न्यायपूर्ण ,व्यावसायिक तथा उत्तरदायीत्व पर आधारित स्वस्थ समष्टि कार्यप्रणाली लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है।

समष्टि आचार संहिता विषयक कम्पनी के सिद्धांत

कम्पनी स्वस्थ समष्टि कार्यप्रणाली में दृढ़ विश्वास रखती है तथा उस पर आचरण भी करती है। कम्पनी की नीतियां पारदर्शिता, व्यावसायिकता तथा उत्तरदायित्व के मूल्यों द्वारा झलकती हैं। कम्पनी अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, हिस्सेदारों तथा समस्त समाज के लिये दीर्घकालीन आर्थिक मूल्यों को प्रदान करने के लिये सदा प्रयासरत रहती है।

सेकी अक्षय ऊर्जा तथा ऊर्जा प्रभावी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता एवं परिवर्धन करने वाले प्रतियोगी, ग्राहक मैत्री पूर्ण तथा विकास केंद्रित संगठन बनने के लिये प्रतिबद्ध है।

1. निदेशक मण्डल

सेकी का निदेशक मण्डल नेतृत्व प्रदान करने, कूटनीतिक निर्देश देने,प्रबंधन से स्वतंत्र विषयगत निर्णय लेने और कम्पनी पर नियंत्रण रखने के साथ ही प्रतिपल शेयर धारकों के प्रति उत्तरदायी रहता है।

पिछली रिर्पोट से अब तक भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 11.7.2013 को श्री राजेंद्र निमजे को सेकी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इन आदेशों का अनुपालन करते हुए श्री राजेंद निमजे ने 18.10.2013 को कार्यभार सम्भाल लिया।

2. निदेशक मण्डल का गठन

मण्डल में कार्यकारी तथा अकार्यकारी निदेशकों का मिश्रण है। रिर्पोट की आज की तिथि तक निदेशक मण्डल का गठन इस प्रकर है:–

कार्यकारी निदेशक

1. श्री राजेंद्र निमजे, प्रबंध निदेशक (18.10.2013 से)
2. डॉ अश्विनी कुमार, निदेशक (सौर)
3. श्री राकेश कुमार, निदेशक (विद्युत प्रणाली)
4. श्री सी. कन्नन, निदेशक (वित्त)
5. श्री राजीव भारद्वाज, निदेशक (मानव संसाधन)

अंशकालीन निदेशक (सरकारी निदेशक)

1. श्री अनिल काकोड़कर, सरकार द्वारा नामित (24.11. 2011–23.11.2013)
2. डा० सतीश बी. अग्निहोत्री, सरकारी नामिती (05.12. 2013 –27.5.2014)
3. श्री उपेंद्र त्रिपाठी, सरकारी नामिती तथा अध्यक्ष (27.5.2014 से)
4. श्री तरुण कपूर, सरकारी नामिती
5. श्री ए.एन. श्रीवास्तव (11.10.2011–28.11.2013)

3. वित्तीय वर्ष 2013–2014 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों की विस्तृत जानकारी

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान निदेशक मण्डल की 4 बैठकें दिनांक 09.07. 2013, 27.08.2013, 10.09.2013 23.09.2013 (स्थगित), तथा 25.02.2014 को आयोजित की गई थी, विस्तृत कार्यसूची और पृष्ठभूमि टिप्पणियां निदेशकों को दी गई।

निदेशक मण्डल को समष्टि संचालन के लिये निर्धारित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप कम्पनी की सभी सम्बंधित सूचनाओं की उपलब्धता है।

4. लेखा परीक्षा समिति

कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 292 ए तथा डीपीई द्वारा समष्टि संचालन के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सेकी ने 26.03.2013 को निदेशक मण्डल की एक "लेखापरीक्षा समिति" का गठन किया।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company is committed to sound corporate practices based on conscience, openness, fairness, professionalism and accountability for achieving sustainable long term growth to achieve the mission set under JNNSM.

COMPANY'S PHILOSOPHY ON CODE OF CORPORATE GOVERNANCE.

The company firmly believes and has consistently practiced good corporate governance. The company's policy is reflected by the values of transparency, professionalism and accountability. The company constantly strives towards betterment of these aspects and thereby generating long term economic value for its customers, employees, stakeholders and the society as a whole.

SECI is committed to be a competitive, client-friendly and development-oriented organization for financing and promoting renewable energy and energy efficiency projects.

1. Board of Directors

The Board of Directors of SECI provide leadership and strategic guidance, objective judgement independent of management and exercise control over the Company while remaining at all times accountable to the Shareholders.

Since the last report, the Government of India, Ministry of New and Renewable Energy vide letter dated 11.07.2013 appointed Shri Rajendra Nimje as Managing Director of SECI. Pursuant to these orders, Shri Rajendra Nimje assumed charge on 18th October 2013.

2. Composition of the Board of Directors

The Board has a mix of executive and non-executive Directors. The composition of the Board as on the date of the Report is as follows:

Functional Directors

1. Shri. Rajendra Nimje, Managing Director (w.e.f. 18.10.2013)
2. Dr. Ashvini Kumar, Director (Solar)
3. Shri. Rakesh Kumar, Director (Power Systems)
4. Shri. C. Kannan, Director (Finance)
5. Shri. Rajeev Bhardwaj, Director (HR)

Part-Time Director (Government Directors)

1. Shri. Anil Kakodkar - Government Nominee (24.11.2011 - 23.11.2013)
2. Dr. Satish B. Agnihotri - Government Nominee (05.12.2013 - 27.05.2014)
3. Shri. Upendra Tripathy - Government Nominee & chairman (w.e.f. 27.05.2014)
4. Shri. Tarun Kapoor – Government Nominee
5. Shri. A. N. Srivastava (11.10.2011 - 28.11.2013)

3. Details of Board Meetings held during the Financial Year 2013-14

During the Financial Year 2013-14, 4 Nos. of Board meetings were held i.e. on 09.07.2013, 27.08.2013, 19.09.2013& 23.09.2013 (adjourned), 25.02.2014. Detailed agendas along with background notes were circulated to the Board.

The Board has complete access to all the relevant information within the Company including those prescribed in the DPE Guidelines on Corporate Governance.

4. Audit Committee

In compliance with the provisions of Section 292A of the Companies Act, 1956 (the 'Act'), and DPE guidelines on Corporate Governance, SECI had constituted a Committee of the Board known as "Audit Committee" on 26.03.2013.

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या

2013–14 में लेखा परीक्षा समिति की एक बैठक 09.07.2013 को हुई। समिति के सभी सदस्यों को विस्तृत कार्यसूची तथा पृष्ठभूमि रिपोर्ट अग्रिम रूप से भेज दी गई थी।
वित्तीय वर्ष 2013–14 में लेखा परीक्षा समिति की बैठक में समिति के सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है :

क्र. सं	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि के दौरान बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने वालों की संख्या
1.	श्री अनिल काकोडकर	स्वतंत्र निदेशक	1	1
2.	श्री. ए एन श्रीवास्तव	सरकारी निदेशक	1	-
3.	श्री. राकेश कुमार	कार्यकारी निदेशक	1	1

निदेशक(वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक को इस बैठक के लिये विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। लेखा परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किये गये।

5. आम सभा की बैठक

पिछली आम सभाओं की तारीख, समय तथा स्थान की विस्तृत जानकारी इस प्रकार हैं।

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2011-12	17.09.2012	17.30 बजे	भारतीय सौर ऊर्जा निगम, एनबीसीसी प्लाजा, चौथी मंजिल, टॉवर–I, साकेत, नई दिल्ली–110017
2012-13	27.08.2013	17.00 बजे	भारतीय सौर ऊर्जा निगम, एनबीसीसी प्लाजा, चौथी मंजिल, टॉवर–I, साकेत, नई दिल्ली–110017

6. प्रकटीकरण

- इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेंट्स द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 के तहत यथा अपेक्षित सम्बंधित पार्टियों के साथ लेन–देन का प्रकटीकरण शून्य है।
- कम्पनी ने कम्पनी के प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधकों, उनकी सहायक कम्पनियों, अथवा सम्बंधियों आदि से किसी प्रकार का लेन–देन नहीं किया जिनका कम्पनी के हितों से टकराव हो सकता हो। अकार्यकारी निदेशकों का इस वर्ष उनके कार्यकाल में कम्पनी की बैठकों में उपस्थित रहने का शुल्क ग्रहण करने के अतिरिक्त कम्पनी के कार्य–व्यापार से कोई आर्थिक सरोकार नहीं था। किसी भी अकार्यकारी निदेशक के पास कम्पनी के शेयर, डिबेंचर नहीं हैं।
- किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कम्पनी पर लगाए गए दण्ड, संरचना अथवा किसी अन्य मामले में कम्पनी द्वारा उल्लंघन करने की कोई घटना नही हुई।
- लेखा पुस्तकों में व्यय की मद में ऐसी कोई प्रविष्टि जो व्यापार से सम्बद्ध न हो : शून्य
- निदेशक मण्डल तथा उच्च–प्रबंधन द्वारा निजी प्रकृति का खर्चा : शून्य

Number of Audit Committee Meetings

During the year 2013-14, one Audit Committee Meeting was held on 09.07.2013. Detailed agendas along with background notes were circulated in advance to all the Committee members.
The Composition of the Audit Committee members' attendance at the Audit Committee Meetings for the fiscal year 2013-14 are detailed below :-

Sl. No.	Name of the Director	Designation	No. of meeting held during the tenure	No. of Meeting attended
1.	Shri Anil Kakodkar	Independent Director	1	1
2.	Shri. A. N. Srivastava	Government Director	1	-
3.	Shri. Rakesh Kumar	Functional Director	1	1

Director (Finance), Internal Auditors and Statutory Auditors were special invitees in the Audit Committee meeting. The minutes of the Audit Committee were placed before the Board for information.

5. General Body Meetings

The details of Date, Time and Location of the last Annual General Meetings held are as under:

Financial Year	Date	Time	Location
2011-12	17.09.2012	1730 hrs	Solar Energy Corporation of India, NBCC Plaza, 4th Floor, Tower-I, Saket, New Delhi-110017
2012-13	27.08.2013	1700hrs	Solar Energy Corporation of India, NBCC Plaza, 4th Floor, Tower-I, Saket, New Delhi-110017

6. DISCLOSURES

- A disclosure on transactions entered into with the related parties as required by the Accounting standards (AS) 18 issued by the Institute of Chartered Accountants of India is NIL.
- There were no transactions by the Company of material nature with Promoters, Directors or the Management, their Subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of Company at large. The Non-Executive Director had no pecuniary relations or transactions vis-à-vis the company during the year in their tenure except receipt of sitting fee for attending the meetings of the Board / Board Sub-Committee. None of the Non-executive Director held any share/convertible instrument of the Company.
- There were no instances of non-compliance by the Company, penalties, structure imposed on the Company by any statutory authority, or any other matter.
- Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purpose of the business: NIL.
- Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Director and Top Management : NIL

वार्षिक लेखा 2013–14

Annual Accounts 2013-14

दिनांक 31 मार्च 2014 के अनुसार तुलन पत्र

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2014

(राशि रु. में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
इक्विटी और देयताएं			
शेयरधारक फंड			
शेयर पूंजी	3	420,000,000	210,000,000
रिजर्व और अधिशेष	4	(99,439,417)	(70,983,906)
		320,560,583	**139,016,094**
शेयर आवेदन के पैसे लम्बित आबंटन		**150,000,000**	-
गैर – वर्तमान देयताएं			
अन्य दीर्घकालिक देयताएं	5	31,350	75,000
दीर्घकालिक प्रावधान	6	7,635,099	980,040
		7,666,449	**1,055,040**
वर्तमान देयताएं			
अन्य मौजूदा देयताएं	7	657,215,068	460,194,332
लघु अवधि के प्रावधान	8	618,106	40,854
		657,833,174	**460,235,186**
कुल		**1,136,060,206**	**600,306,320**
संपत्ति			
गैर मौजूदा परिसंपत्तियों			
अचल संपतियों	9		
मूर्त संपत्ति		13,281,425	9,439,375
अमूर्त संपत्ति		2,970,473	112,414
आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)		13,224,354	-
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	10	271,162,882	5,600,740
		300,639,134	**15,152,529**
वर्तमान संपत्ति			
व्यापार प्राप्तियों	11	2,184,615	-
नकद और नकद समकक्ष	12	792,743,010	577,771,833
लघु अवधि के ऋण और अग्रिम	13	7,592,401	1,286,270
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों	14	32,901,046	6,095,688
		835,421,072	**585,153,791**
कुल		**1,136,060,206**	**600,306,320**
सामान्य जानकारी	1		
खातों की महत्वपूर्ण गणना नीतियां और अन्य टिप्पणियां	2		

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	As at 31.03.2014	As at 31.03.2013
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholder's Funds			
Share Capital	3	420,000,000	210,000,000
Reserves and Surplus	4	(99,439,417)	(70,983,906)
		320,560,583	**139,016,094**
Share Application Money Pending Allotment		**150,000,000**	-
Non-Current Liabilities			
Other Long term liabilities	5	31,350	75,000
Long term provisions	6	7,635,099	980,040
		7,666,449	**1,055,040**
Current Liabilities			
Other current liabilities	7	657,215,068	460,194,332
Short-term provisions	8	618,106	40,854
		657,833,174	**460,235,186**
TOTAL		**1,136,060,206**	**600,306,320**
Assets			
Non-current assets			
Fixed assets	9		
Tangible assets		13,281,425	9,439,375
Intangible assets		2,970,473	112,414
Deferred tax assets (net)		13,224,354	-
Long term loans and advances	10	271,162,882	5,600,740
		300,639,134	**15,152,529**
Current assets			
Trade receivables	11	2,184,615	-
Cash and cash equivalents	12	792,743,010	577,771,833
Short-term loans and advances	13	7,592,401	1,286,270
Other current assets	14	32,901,046	6,095,688
		835,421,072	**585,153,791**
TOTAL		**1,136,060,206**	**600,306,320**
General Information	1		
Significant Accounting Policies and other Notes to Accounts	2		

यहां तक कि तिथि की हमारी ऑडिट रिपोर्ट के संदर्भ में
In Terms of our Audit Report of Even Date

टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अनिवार्य भाग है
The Notes are an Integral Part of these Financial Statements

कृते सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स
For Sood Brij & Associates
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फर्म रजि. नं. 00350N
Chartered Accountants, FRN No. 00350N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
For and on Behalf of the Board of Directors

(ए.के.सूद)
(A.K. Sood)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं.– 14372
Membership No 14372

(एस. के. गुप्ता)
(S .K. Gupta)
कम्पनी सचिव
Company Secretary
सदस्यता सं. 10840
Membership No. 10840

(सी. कन्नन)
(C Kannan)
निदेशक(वित्त)
Director Finance
डी.आई.एन.सं. 06458185
DIN No. 06458185

(राजेन्द्र निमजे)
(Rajendra Nimje)
प्रबंध निदेशक
Managing Director
डी.आई.एन.सं. 02886079
DIN No. 02886079

Place : New Delhi
स्थान : नई दिल्ली
Date : 18-06-2014
दिनांक : 18-06-2014

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण

(राशि रु. में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
	राजस्व			
	परिचालन से राजस्व	15	36,720,559	-
	अन्य आय	16	24,234,704	8,149,610
I	कुल राजस्व		60,955,263	8,149,610
	व्यय			
	कर्मचारी लाभ खर्च	17	44,665,272	14,631,978
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	9	1,697,469	360,788
	अन्य व्यय	18	56,207,788	37,577,807
II	कुल व्यय		102,570,529	52,570,573
III	असाधारण और विशिष्ट मदों से पहले आय/ (व्यय) और कर (I-II)		(41,615,266)	(44,420,963)
IV	असाधारण मदें		64,599	-
V	असाधारण मदों से पहले आय/ (व्यय) और कर (III-IV)		(41,679,865)	(44,420,963)
VI	असाधारण मदें		-	3,460
VII	कर पूर्व आय / (व्यय) (V-VI)		(41,679,865)	(44,417,503)
VIII	कर व्यय			
	(1) वर्तमान कर		-	-
	(2) आस्थगित कर		(13,224,354)	3,252,273
IX	कर के बाद से परिचालन जारी रखने की अवधि के लिए आय / (व्यय) (VII-VIII)		(28,455,511)	(47,669,776)
X	बंद परिचालन से आय / (व्यय)		-	-
XI	बंद परिचालन के कर खर्च		-	-
XII	बंद परिचालन से आय / (व्यय) (कर के बाद) (X-XI)		-	-
XIII	अवधि के लिए आय / (व्यय) (XII-XI)		(28,455,511)	(47,669,776)
XIV	इक्विटी प्रति शेयर आय:			
	(1) मूल		(78.38)	(352.50)
	(2) ह्रास	1	(78.38)	(352.50)
	सामान्य जानकारी	2		
	लेखों की महत्वपूर्ण लेखापालन नीतियां और अन्य टिप्पणियां			

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

(Amount in Rs.)

	Particulars	Note No.	Year Ended 31.03.2014	Year Ended 31.03.2013
	Revenue			
	Revenue from operations	15	36,720,559	-
	Other income	16	24,234,704	8,149,610
I	Total Revenue		60,955,263	8,149,610
	Expenses			
	Employee benefit expense	17	44,665,272	14,631,978
	Depreciation and amortization expense	9	1,697,469	360,788
	Other expenses	18	56,207,788	37,577,807
II	Total Expenses		102,570,529	52,570,573
III	Income/(Expenditure) before Exceptional and Extraordinary Items and Tax (I - II)		(41,615,266)	(44,420,963)
IV	Exceptional items		64,599	-
V	Income/(Expenditure) before Extraordinary Items and Tax (III - IV)		(41,679,865)	(44,420,963)
VI	Extraordinary Items		-	3,460
VII	Income/(Expenditure) before tax (V - VI)		(41,679,865)	(44,417,503)
VIII	Tax expense			
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax		(13,224,354)	3,252,273
IX	Income/(Expenditure) for the period from continuing operations after tax(VII-VIII)		(28,455,511)	(47,669,776)
X	Income/(Expenditure) from discontinuing operations		-	-
XI	Tax expense of discontinuing operations		-	-
XII	Income/(Expenditure) from Discontinuing operations (after tax) (X-XI)		-	-
XIII	Income/(Expenditure) for the period (XII+IX)		(28,455,511)	(47,669,776)
XIV	Earnings per equity share:			
	(1) Basic		(78.38)	(352.50)
	(2) Diluted	1	(78.38)	(352.50)
	General Information	2		
	Significant Accounting Policies and other Notes To Accounts			

यहां तक कि तिथि की हमारी ऑडिट रिपोर्ट के संदर्भ में
In Terms of our Audit Report of Even Date

कृते सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स
For Sood Brij & Associates
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फर्म रजि. नं. 00350N
Chartered Accountants, FRN No. 00350N

टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अनिवार्य भाग है
The Notes are an Integral Part of these Financial Statements

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
For and on Behalf of the Board of Directors

(ए.के.सूद) **(A.K. Sood)** भागीदार **Partner** सदस्यता सं.– 14372 **Membership No 14372**	(एस. के. गुप्ता) **(S .K. Gupta)** कम्पनी सचिव **Company Secretary** सदस्यता सं. 10840 **Membership No. 10840**	(सी. कन्नन) **(C Kannan)** निदेशक(वित्त) **Director Finance** डी.आई.एन.सं. 06458185 **DIN No. 06458185**	(राजेन्द्र निमजे) **(Rajendra Nimje)** प्रबंध निदेशक **Managing Director** डी.आई.एन.सं. 02886079 **DIN No. 02886079**

Place : New Delhi
स्थान : नई दिल्ली
Date : 18-06-2014
दिनांक : 18-06-2014

तुलन पत्र के लिए टिप्पणियां :

NOTES TO BALANCE SHEET:

टिप्पणी 3: शेयर पूंजी

(रुपये में राशि)

शेयर पूंजी	31 मार्च 2014 के अनुसार		31 मार्च 2013 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्राधिकृत				
प्रत्येक रु.1000 का इक्विटी शेयर	20,000,000	20,000,000,000	20,000,000	20,000,000,000
जारी, अभिदत				
प्रत्येक रु.1000 का इक्विटी शेयर	6,000,000	6,000,000,000	6,000,000	6,000,000,000
पूर्ण प्रदत्त				
प्रत्येक रु.1000 का इक्विटी शेयर	420,000	420,000,000	210,000	210,000,000
कुल	**420,000**	**420,000,000**	**210,000**	**210,000,000**

NOTE 3: SHARE CAPITAL

(Amount In Rs.)

Share Capital	As at 31.03.2014		As at 31.03.2013	
	Number	Amount	Number	Amount
Authorised				
Equity Shares of Rs1000 each	20,000,000	20,000,000,000	20,000,000	20,000,000,000
Issued, Subscribed				
Equity Shares of Rs1000 each	6,000,000	6,000,000,000	6,000,000	6,000,000,000
Fully paid up				
Equity Shares of Rs1000 each	420,000	420,000,000	210,000	210,000,000
Total	**420,000**	**420,000,000**	**210,000**	**210,000,000**

क. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में और अंत में बकाया शेयरों का समाधन

विवरण	इक्विटी शेयर		अधिमान्य शेयर	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	210,000	210,000,000		
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	210,000	210,000,000	-	-
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**420,000**	**420,000,000**	-	-

नोटः ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम के अंशदाताओं ने प्रत्येक 1000 रु. के 60,00,000 इक्विटी शेयरों का पूर्वक्रम आरंभ किया जिसमें से प्रत्येक 1000 रु. के 4,20,000 इक्विटी शेयरों को अभिदत्त और प्रदत्त किये गये

A. Reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period.

Particulars	Equity Shares		Preference Shares	
	Number	Amount	Number	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	210,000	210,000,000		
Shares Issued during the year	210,000	210,000,000	-	-
Shares bought back during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	**420,000**	**420,000,000**	-	-

Note : The Subscribers to the Memorandum and Article of Association had undertaken to subsribe 60,00,000 Equity Shares of Rs. 1000 each out of which 4,20,000 Equity Shares of Rs. 1000 each have been subscribed and fully paid up.

ख. कंपनी में 5 : से अधिक शेयर रखने वाले अंशधरियों के ब्यौरे

अंशधरक का नाम	31 मार्च 2014 के अनुसार		31 मार्च 2013 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	% नियंत्राण	शेयरों की संख्या	% नियंत्राण
भारत के राष्ट्रपति	420,000	100	210,000	100

B. Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Name of Shareholder	As at 31.03.2014		As at 31.03.2013	
	No. of Shares held	% of Holding	No. of Shares held	% of Holding
President of India	420,000	100	210,000	100

तुलन पत्र के लिए टिप्पणियां

नोट 4 : रिजर्व और अतिरेक (राशि रु. में)

रिजर्व और अतिरेक	31 मार्च 2014 के अनुसार राशि	31 मार्च 2013 के अनुसार राशि
आय और व्यय के विवरण में (घाटा)		
वर्ष के शुरुआत में शेष	(70,983,906)	(23,314,130)
वर्ष के लिए आय/(व्यय)	(28,455,511)	(47,669,776)
आय और व्यय के विवरण में निवल (घाटा)	**(99,439,417)**	**(70,983,906)**

NOTE 4 : RESERVES & SURPLUS **(Amount in Rs.)**

Reserves & Surplus	Amount as at 31.03.2014	Amount as at 31.03.2013
(Deficit) in the Statement of Income and Expenditure		
Balance as at beginning of the year	(70,983,906)	(23,314,130)
Income/(Expenditure) for the year	(28,455,511)	(47,669,776)
Net (Deficit) in the Statement of Income and Expenditure	**(99,439,417)**	**(70,983,906)**

नोट 5: अन्य दीर्घावधिक देयताएं

अन्य दीर्घावधिक देयताएं	31 मार्च 2014 के अनुसार राशि	31 मार्च 2013 के अनुसार राशि
अप्रतिभूति		
प्रतिभूति जमा	31,350	75,000
कुल	**31,350**	**75,000**

NOTE 5 : OTHER LONG TERM LIABILITIES

Other Long term Liabilities	Amount as at 31.03.2014	Amount as at 31.03.2013
Unsecured		
Security Deposit	31,350	75,000
Total	**31,350**	**75,000**

नोट 6: दीर्घावधिक प्रावधान

दीर्घावधिक प्रावधान	31 मार्च 2014 के अनुसार राशि	31 मार्च 2013 के अनुसार राशि
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	3,730,428	535,236
उपदान के लिए प्रावधान	889,326	183,992
सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ के लिए प्रावधान	3,015,345	260,812
कुल	**7,635,099**	**980,040**

NOTE 6 : LONG TERM PROVISIONS

Long Term Provisions	Amount as at 31.03.2014	Amount as at 31.03.2013
Provisions for Earned Leaves	3,730,428	535,236
Provision for Gratuity	889,326	183,992
Provision for Post Retirement Benefits	3,015,345	260,812
Total	**7,635,099**	**980,040**

नोट 7: अन्य वर्तमान देयताएं

अन्य वर्तमान देयताएं	31 मार्च 2014 के अनुसार राशि	31 मार्च 2013 के अनुसार राशि
वितरण के लिए सब्सिडी	447,104,435	426,103,774
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान	49,410,477	24,376,000
ग्राहकों से अग्रिम	140,177,681	-
शुल्क और कर	2,890,693	825,399
प्रतिभूति जमा	5,329,011	50,161
अन्य देयताएं	12,302,771	8,838,998
कुल	**657,215,068**	**460,194,332**

NOTE 7 : OTHER CURRENT LIABILITIES

Other Current Liabilities	Amount as at 31.03.2014	Amount as at 31.03.2013
Subsidy for Disbursement	447,104,435	426,103,774
Grant received from MNRE	49,410,477	24,376,000
Advance from Clients	140,177,681	-
Duties & Taxes	2,890,693	825,399
Security Deposit	5,329,011	50,161
Other Payable	12,302,771	8,838,998
Total	**657,215,068**	**460,194,332**

नोट 8: लघु अवधि के प्रावधान

लघु अवधि के प्रावधान	31 मार्च 2014 के अनुसार राशि	31 मार्च 2013 के अनुसार राशि
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	176,120	39,934
उपदान के लिए प्रावधान	5,784	478
सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ के लिए प्रावधान	59	442
प्रतिनियुक्ति कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	436,143	-
कुल	**618,106**	**40,854**

NOTE 8 : SHORT TERM PROVISIONS

Short Term Provisions	Amount as at 31.03.2014	Amount as at 31.03.2013
Provisions for Earned Leaves	176,120	39,934
Provision for Gratuity	5,784	478
Provision for Post Retirement Benefits	59	442
Provision for Deputation Employee Benefits	436,143	-
Total	**618,106**	**40,854**

नोट: 9 अचल संपत्तियां

(राशि रु. में)

विवरण	लागत पर सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास समायोजन				ह्रासित मूल्य	
	1.4.2013 के अनुसार	संयोजन	बिक्री / संयोजन	कुल	1 अप्रैल 2013 के अनुसार	संयोजन	वर्ष के लिए	कुल	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
वास्तविक परिसंपत्तियां										
इमारत	-			-	-			-	-	-
कंप्यूटर	2,080,065	986,105		3,066,170	159,665	-	392,059	551,724	2,514,446	1,920,400
प्रिंटर	352,330	71,980		424,310	22,437	-	17,785	40,222	384,088	329,893
फर्नीचर और फिक्चर	234,821	112,063	68,875	278,009	4,878	4,276	36,383	36,985	241,024	229,943
फर्नीचर और फिक्चर–गेस्ट हाउस	90,088	114,126		204,214	6,430		10,474	16,904	187,310	83,658
कार्यालय उपकरण	725,240	2,177,953		2,903,193	128,125		73,775	201,900	2,701,293	597,115
संयंत्र और मशीनरी	-			-	-			-	-	-
कार्यालय उपकरण–गेस्ट हाउस	9,005	97,000		106,005	9,005		39,234	48,239	57,766	-
मोटर वाहन	6,280,000	1,604,320		7,884,320	1,634		687,188	688,822	7,195,498	6,278,366
(क)-कुल वास्तविक परिसंपत्तियां	**9,771,549**	**5,163,547**	**68,875**	**14,866,221**	**332,174**	**4,276**	**1,256,898**	**1,584,796**	**13,281,425**	**9,439,375**
अवास्तविक परिसंपत्तियां										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	**143,535**	**3,298,630**		3,442,165	**31,121**	-	440,571	471,692	2,970,473	112,414
(ख)-कुल वास्तविक परिसंपत्तियां	**143,535**	**3,298,630**	-	**3,442,165**	**31,121**	-	**440,571**	**471,692**	**2,970,473**	**112,414**
कुल योग **(क+ख)**	**9,915,084**	**8,462,177**	**68,875**	**18,308,386**	**363,295**	**4,276**	**1,697,469**	**2,056,488**	**16,251,898**	**9,551,789**
पिछले वर्ष	**177,800**	**9,737,284**	-	**9,915,084**	**5,967**	**(3,460)**	**360,788**	**363,295**	**9,551,789**	**171,833**

NOTE 9 : FIXED ASSETS

(Amount in Rs.)

Particulars	GROSS BLOCK AT COST				DEPRECIATION				WRITTEN DOWN VALUE	
	As at 1.4.2013	Additions	Sales / Adjustment	Total	As at 1.4.2013	Adjustment	For The Year	Total	As at 31.3.2014	As at 31.3.2013
TANGIBLE ASSETS										
Building	-			-	-			-	-	-
Computer	2,080,065	986,105		3,066,170	159,665	-	392,059	551,724	2,514,446	1,920,400
Printer	352,330	71,980		424,310	22,437	-	17,785	40,222	384,088	329,893
Furniture & Fixture	234,821	112,063	68,875	278,009	4,878	4,276	36,383	36,985	241,024	229,943
Furniture & Fixture-Guest house	90,088	114,126		204,214	6,430		10,474	16,904	187,310	83,658
Office Equipment	725,240	2,177,953		2,903,193	128,125		73,775	201,900	2,701,293	597,115
Plant & Machinery	-			-	-			-	-	-
Office Equipment-Guest house	9,005	97,000		106,005	9,005		39,234	48,239	57,766	-
Motor Vehicles	6,280,000	1,604,320		7,884,320	1,634		687,188	688,822	7,195,498	6,278,366
(A)-Total Tangible Assets	**9,771,549**	**5,163,547**	**68,875**	**14,866,221**	**332,174**	**4,276**	**1,256,898**	**1,584,796**	**13,281,425**	**9,439,375**
INTANGIBLE ASSETS										
COMPUTERS SOFTWARE	**143,535**	**3,298,630**		3,442,165	**31,121**	-	440,571	471,692	2,970,473	112,414
(B)-Total Intangible Assets	**143,535**	**3,298,630**	**-**	**3,442,165**	**31,121**	**-**	**440,571**	**471,692**	**2,970,473**	**112,414**
Grand Total (A+B)	**9,915,084**	**8,462,177**	**68,875**	**18,308,386**	**363,295**	**4,276**	**1,697,469**	**2,056,488**	**16,251,898**	**9,551,789**
Previous Year	**177,800**	**9,737,284**	**-**	**9,915,084**	**5,967**	**(3,460)**	**360,788**	**363,295**	**9,551,789**	**171,833**

नोट 10: दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम (राशि रु. में)

दीर्घावधिक लोन और एडवांस	31 मार्च 2014 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
पूंजी अग्रिम	253,802,162	-
प्रतिभूति जमा		
अप्रतिभूति समझे जाने वाला सामान		
प्राप्तियोग्य प्रतिभूति जमा	17,360,720	5,600,740
कुल	271,162,882	5,600,740

NOTE 10 : LONG TERM LOANS & ADVANCES (Amount in Rs.)

Long Term Loans and Advances	Amount as at 31.03.2014	Amount as at 31.03.2013
Capital Advances	253,802,162	-
Security Deposits:		
Unsecured, considered good		
Security Deposit receivable	17,360,720	5,600,740
Total	**271,162,882**	**5,600,740**

नोट 11: व्यापार प्राप्तियां

व्यापार प्राप्तियां	31 मार्च 2014 के अनुसार राशि	31 मार्च 2013 के अनुसार राशि
भुगतान के लिए देय तारीख से छः महीने से कम अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियां	1,877,871	-
भुगतान के लिए देय तारीख से छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियां	306,744	-
कुल	2,184,615	-

NOTE 11: TRADE RECEIVABLES

Trade Receivables	Amount as at 31.03.2014	Amount as at 31.03.2013
Trade receivables outstanding for a period less than six months from the date they are due for payment		
-Unsecured, considered good	1,877,871	-
Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment		
-Unsecured, considered good	306,744	-
Total	**2,184,615**	-

नोट 12: नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष	31 मार्च 2014 के अनुसार राशि	31 मार्च 2013 के अनुसार राशि
बैंकों में शेष:		
बचत खाता	122,201	451,128,643
चालू खाते	24,210,951	1,343,190
सावधि जमा	768,109,858	125,300,000
निर्धारित सावधि जमा	300,000	–
कुल	792,743,010	577,771,833

NOTE 12 : CASH & CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents	Amount as at 31.03.2014	Amount as at 31.03.2013
Balances with banks in :		
Saving Account	122,201	451,128,643
Current Accounts	24,210,951	1,343,190
Fixed Deposit	768,109,858	125,300,000
Fixed Deposit Earmarked	300,000	—
Total	**792,743,010**	**577,771,833**

नोट 13: लघु अवधि ऋण और अग्रिम

लघु अवधि के ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2014 के अनुसार राशि	31 मार्च 2013 के अनुसार राशि
ऋण और अग्रिम		
पूंजी अग्रिम	-	717,247
कर्मचारी अग्रिम	262,825	-
अन्य	493,288	569,023
ठेकेदार को अग्रिम	2,270,948	-
प्रतिभूति जमा		
अप्रतिभूत माना गया सामान		
प्रतिभूति जमा प्राप्तियोग्य	4,565,340	-
कुल	7,592,401	1,286,270

NOTE 13 : SHORT TERM LOANS & ADVANCES

Short-term loans and advances	Amount as at 31.03.2014	Amount as at 31.03.2013
Loans and advances		
Capital Advances	-	717,247
Staff Advance	262,825	-
Others	493,288	569,023
Advance to Contractor	2,270,948	-
Security Deposits:		
Unsecured, considered good		
Security Deposit receivable	4,565,340	-
Total	**7,592,401**	**1,286,270**

नोट 14: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों

अन्य वर्तमान संपत्तियाँ	31 मार्च 2014 के अनुसार राशि	31 मार्च 2013 के अनुसार राशि
अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	21,850,243	5,233,310
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	11,050,803	862,378
कुल	32,901,046	6,095,688

NOTE 14 : OTHER CURRENT ASSETS

Other Current Assets	Amount as at 31.03.2014	Amount as at 31.03.2013
Interest Accrued but not due	21,850,243	5,233,310
Other Current Assets	11,050,803	862,378
Total	**32,901,046**	**6,095,688**

आय और व्यय के लिए टिप्पणियां :

नोट 15: परिचालन से राजस्व (राशि रु. में)

परिचालन से राजस्व	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष
परामर्शी और परियोजना निगरानी शुल्क	22,267,017	-
अन्य परिचालन आय	14,453,542	
कुल	36,720,559	-

NOTES TO INCOME AND EXPENDITURE:

NOTE 15: REVENUE FROM OPERATIONS (Amount in Rs.)

Revenue from Operations	Year Ended 31.03.2014	Year Ended 31.03.2013
Consultancy & Project Monitoring Fees	22,267,017	-
Other Operational Income	14,453,542	
Total	**36,720,559**	-

SOOD BRIJ & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

नोट 16: अन्य आय

अन्य आय	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय	22,157,724	6,907,570
अन्य प्राप्तियां	2,076,980	1,242,040
कुल	**24,234,704**	**8,149,610**

NOTE 16: OTHER INCOME

Other Income	Year Ended 31.03.2014	Year Ended 31.03.2013
Interest Income	22,157,724	6,907,570
Other Receipts	2,076,980	1,242,040
Total	**24,234,704**	**8,149,610**

नोट 17: कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष
वेतन और भत्ते – स्टाफ		
वेतन एवं मजदूरी	20,942,730	8,823,665
भविष्य निधि में अंशदान	2,941,361	1,044,248
कर्मचारियों के लिए बीमा	124,346	
उपदान	790,870	184,470
अर्जित अवकाश व्यय	1,358,349	394,186
चिकित्सा व्यय	1,441,417	235,731
सेवानिवृत्ति बाद लाभ	2,921,842	261,254
अर्ध वेतन अवकाश व्यय	291,752	180,984
कर्मचारियों के आवास के लिए किराया	4,540,207	878,101
कर्मचारी कल्याण	265,872	67,034
वेतन, भत्ते व लाभ – निदेशक		
निदेशकों के पारिश्रमिक	9,003,942	2,494,889
निदेशकों की बैठक का शुल्क	42,584	67,416
कुल	**44,665,272**	**14,631,978**

NOTE 17: EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES

Employee Benefit Expenses	Year Ended 31.03.2014	Year Ended 31.03.2013
Salaries & Wages - Staff		
Salaries & Wages	20,942,730	8,823,665
Contribution to provident fund	2,941,361	1,044,248
Insurance for Employees	124,346	
Gratuity	790,870	184,470
Earned Leaves Expenses	1,358,349	394,186
Medical Expenses	1,441,417	235,731
Post Retirement Benefits	2,921,842	261,254
Half Pay Leave Expenses	291,752	180,984
Rent for residential accommodation of employees	4,540,207	878,101
Staff Welfare	265,872	67,034
Salaries, Allowances & Benefits -Directors		
Directors' Remuneration	9,003,942	2,494,889
Directors' Sitting Fee	42,584	67,416
Total	**44,665,272**	**14,631,978**

नोट 18 रू अन्य व्यय (राशि रु. में)

अन्य व्यय	31 मार्च 2014 समाप्त वर्ष	31 मार्च 2013 समाप्त वर्ष
किराया	24,988,537	22,599,410
भवन की मरम्मत व रख–रखाव	3,855,346	3,818,024
सुरक्षा और जनशक्ति व्यय	4,280,565	2,398,404
किराए पर लिए गए वाहनों का प्रभार	2,020,685	1,745,793
भर्ती व्यय	-	1,310,768
यात्रा और वाहन व्यय	4,530,430	1,031,942
विज्ञापन और प्रचार	2,702,326	664,992
प्रशिक्षण व्यय	257,127	653,907
टेलीफोन, मोबाइल व्यय और इंटरनेट व्यय	1,877,854	647,568
गेस्ट हाउस व्यय	968,552	562,895
गृह व्यवस्था पर व्यय	471,915	468,446
मुद्रण और स्टेशनरी	1,200,549	350,516
पानी, बिजली और बिजली शुल्क	555,921	343,988
अतिथि सत्कार पर व्यय	534,324	161,964
वैधानिक और व्यावसायिक व्यय	3,388,366	213,208
कार्यालय मरम्मत तथा रखरखाव	1,127,170	151,272
डाक और टेलीग्राम	189,443	47,294
बोर्ड मीटिंग व्यय	41,889	35,538
स्थानीय वाहन	108,170	30,770
मीटिंग व्यय	900,336	175,542
कारोबार बढ़ाने पर व्यय	1,346,334	21,643
फाइलिंग फीस	108,705	15,044
बैंक प्रभार	80,927	14,427
सदस्यता शुल्क	202,125	-
बीमा खर्च	34,279	6,006
व्यावसायिक पुस्तकें व पत्रिकाएं	59,930	-
विविध व्यय	305,983	80,356
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
– लेखा परीक्षा शुल्क	50,000	28,090
– अन्य सेवाएं	20,000	-
कुल	**56,207,788**	**37,577,807**

NOTE 18: OTHER EXPENSES (Amount in Rs.)

Other Expenses	Year Ended 31.03.2014	Year Ended 31.03.2013
Rent	24,988,537	22,599,410
Repair & Maintenance of Buliding	3,855,346	3,818,024
Security & Manpower Expenses	4,280,565	2,398,404
Vehicle hire/running & Maintenance Expenses	2,020,685	1,745,793
Recruitment Expenses	-	1,310,768
Travelling & Conveyance Expenses	4,530,430	1,031,942
Advertisement & Publicity	2,702,326	664,992
Training Expenses	257,127	653,907
Telephone, Mobile Expenses and Internet Expenses	1,877,854	647,568
Guest House Expenses	968,552	562,895
House Keeping expenses	471,915	468,446
Printing & Stationary	1,200,549	350,516
Water, Power & Electricity Charges	555,921	343,988
Hospitality Expenses	534,324	161,964
Legal & Professional Charges	3,388,366	213,208
Office Repair & Maintenance	1,127,170	151,272
Postage & Telegram	189,443	47,294
Board Meeting Expenses	41,889	35,538
Local Conveyance	108,170	30,770
Meeting Expenses	900,336	175,542
Business Promotion Expenses	1,346,334	21,643
Filing Fees	108,705	15,044
Bank Charges	80,927	14,427
Membership Fees	202,125	-
Insurance Expenses	34,279	6,006
Professional Books & Journals	59,930	-
Miscellaneous Expenses	305,983	80,356
Auditor's Remuneration		
- Audit Fees	50,000	28,090
- In other Services	20,000	-
Total	**56,207,788**	**37,577,807**

31 मार्च,2014 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

1. सामान्य जानकारी

भारतीय सौर ऊर्जा निगम भारत में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनी है और इसे कम्पनी एक्ट के प्रावधानों की धारा 25 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ–साथ ग्रिड सम्बद्ध तथा ऑफ ग्रिड विद्युत स्टेशनों का स्वामित्व,प्रचालन और प्रबंधन करना तथा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, सौर विद्युत स्टेशनों एवं सहायक सुविधाओं के लिये उपयुक्त स्थानों का चुनाव करना, केंद्रीय सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत निर्धारित नीतियों एवं उद्देश्यों के अनुसार विद्युत का विनिमय, वितरण और विक्रय करना, तथा कार्यकलापों के ऐसे किसी भी क्षेत्र, जिसमें कम्पनी शामिल है, में परामर्शी सेवाओं का संवर्धन, आयोजन तथा संचालन करना शामिल है।

2. प्रमुख लेखाकरण नीतियां

1.1 लेखाओं को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को कम्पनी लेखाकरण मानक नियमावली 2006 तथा कम्पनी एक्ट 1956 के संगत प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित लेखाकरण मानकों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है।वित्तीय विवरणों की वैसी परिसम्पत्तियों, जिनके लिये नुकसान सम्बंधी प्रावधान किये गये हैं और पुनर्मूल्यांकन किया गया है, को छोड़कर उपार्जन आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार किया गया है। कम्पनी द्वारा निरंतर लेखाकरण नीतियों का उपयोग किया गया है और नीचे उल्लेख किये गये परिवर्तनों को छोड़कर ये नीतियां पिछले वर्ष उपयोग की गई लेखाकरण नीतियों के अनुरूप हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग

सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रबंधन द्वारा कुछ अनुमान और आकलन किये जायें जिनका परिसम्पत्तियों और देयताओं की उल्लिखित राशियों तथा वित्तीय विवरण की तिथि को सम्बंधित देयताओं के प्रकटीकरण एवं रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रचालनों के परिणामों पर प्रभाव पड़े। यद्यपि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के सम्बंध में प्रबंधन की अधिकतम जानकारी पर आधारित हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि के दौरान स्वीकार किया जाता है जिसके दौरान वे कार्यान्वित होते हैं।

1.3 स्थायी परिसम्पत्ति

स्थायी परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत रहित अवमूल्यन पर दर्शाया गया है। अधिग्रहण की लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क तथा अन्य गैर प्रतिदेय कर अथवा उगाही तथा कोई अन्य प्रत्यक्ष रूप से देय लागतें, निर्माण के दौरान ब्याज, शुल्क, मालभाड़ा, संस्थापना तथा आबंटित आकस्मिक व्यय जो परिसम्पत्तियों को उनके अभीष्ट उपयोग के लिये कार्यशील दशा में लाने के लिए निर्माण/अधिग्रहण के दौरान देय हों, शामिल हैं।

अमूर्त परिसम्पत्तियों को उनकी अधिग्रहण की लागत पर दर्ज किया जाता है।

उन प्रवर्तित परिसम्पत्तियों, जिनके लिये संविदाकारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान नहीं हुआ है, के मामले में पूंजीकरण अनन्तिम आधार पर किया जाता है जो वित्तीय विवरण के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन होगा।

1.4 अवमूल्यन/परिशोधन

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दर पर सीधे पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास निम्नलिखित परिसम्पत्तियों को छोड़कर प्रदान करना कंपनी की नीति है।

Notes to the Financial Statements for the Year Ended 31st March, 2014

1. General Information

Solar Energy Corporation of India is a public limited company domiciled in India and incorporated under section 25 of the provisions of the Companies Act. Main objects, inter-alia, are to own, operate and manage, both grid connected and off grid power stations, and promote research and development, select suitable sites for solar power stations and ancillary facilities, exchange, distribute and sell power in accordance with the policies and objectives laid down by the Central Government under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission and to promote, organize or conduct consultancy services in any field of activity in which the Company is engaged.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1. Basis of preparation of Accounts:

The financial statements have been prepared to comply in the all material respects with the notified accounting standards as per Companies Accounting Standards Rules, 2006 and the relevant provisions of the Companies Act, 1956. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on accrual basis except in case of assets for which provision for impairment is made and revaluation is carried out. The accounting policies have been consistently applied by the Company and except for the changes in accounting policy discussed below, are consistent with those used in the previous year.

1.2. Use of estimates:

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities on the date of the financial statements and the results of operations during the reporting period. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates. Differences between actual results and estimates are recognized in the period in which they materialize.

1.3. Fixed Assets:

Fixed Assets are stated at historical cost less depreciation. Cost of acquisition is inclusive of purchase price, import duties and other non-refundable taxes or levies and any other directly attributable costs, interest during construction, duties, freight, installation and allocated incidental expenditure during construction/acquisition attributable to bring the assets to their working condition for their intended use.

Intangible assets are recorded at their cost of acquisition.

In case of commissioned assets where final settlement of bills with contractors is yet to be effected, capitalization is done on provisional basis subject to necessary adjustments in the year of the final settlement.

1.4 Depreciation/ Amortization

Company has the policy to provide depreciation on the basis of Straight Line Method at rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956, except for following assets:-

सॉफ्टवेयर सहित अमूर्त परिसम्पत्तियां–20%
सॉफ्टवेयर पर व्यय को अमूर्त परिसम्पत्ति माना जाता है तथा 5 वर्षों तक पूर्णतः परिशोधित किया जाता है।

परिसम्पत्तियां जिस तिथि से उपयोग हेतु उपलब्ध होती हैं उस तिथि से यथानुपात आधार पर अवमूल्यन दिया जाता है।/अतिरिक्त अप्रयोज्य घोषित की गई परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन उस माह के अंत तक प्रदान किया जाता है, जिस माह में ऐसी घोषणा की गई हो।

5000 रुपये अथवा उससे कम मूल्य की परिसम्पत्तियों को प्रापण के वर्ष में पूर्ण अवमूल्यन किया जाता है।

1.5 निवेश

दीर्घकालीन निवेश का मूल्य निर्धारण मूल्य के स्थायी ह्रास के लिए लागत रहित प्रावधान पर किया गया है।

वर्तमान निवेशों का मूल्य निर्धारण कम लागत और उचित मूल्य पर किया गया है।

1.6 उधारी लागत

उधारी लागतें जो अर्हक परिसम्पत्ति के अधिग्रहण अथवा निर्माण हेतु देय है, को ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया गया है। अर्हक परिसम्पत्ति वह परिसम्पत्ति है जिसे अभिप्रेत उपयोग के लिये तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लगता है। अन्य सभी उधारी लागतों के लिये राजस्व प्रभारित किया जाता है।

1.7 वस्तु–सूची

वस्तु सूची की लागत को कम करके अथवा निवल वसूली मान कर मानित किया जाता है।

1.8 राजस्व और व्यय अभिज्ञान

आय :–

(1) इसे लेखाकरण की उपार्जन प्रणाली के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

(2) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रचार, प्रबोधन, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, क्षेत्र निरीक्षण, देख रेख तथा तथा तकनीकी मार्गदर्शन के लिये केंद्रीय राजस्व सहायता के तहत 3% छतोपरि परियोजना कार्यों के लिये सहायता प्रदान की है।

ग्रिड/ऑफ ग्रिड छतोपरि परियोजनाओं से सम्बंधित परियोजना निरीक्षण तथा तकनीकी मार्गदर्शन से प्राप्त राजस्व तकनीकी अनुमानों के आधार परियोजना की प्रगति के अनुसार लेखित किया जाता है।

परियोजनाओं की प्रगति की निम्न अवस्थाओं के आधार पर राजस्व तय किया गया है।

अवस्था	आवंटन का %	आवंटन की संचयी %
आवंटन	1.50%	1.50%
मंजूरी	0.25%	1.75%
कमीशनिंग	0.25%	2.00%
ओ एंड एम – (I) वर्ष	0.50%	2.50%
ओ एंड एम – (II) वर्ष	0.50%	3.00%
	3.00%	

Intangible Assets including Software - 20%
Expenditure on software is recognized as intangible Asset and amortized fully over 5 years

Depreciation is provided on pro rata basis from the date in which the asset becomes available to use.
Depreciation on assets declared surplus/ obsolete is provided till the end of the month in which such declaration is made.

Assets costing Rs 5000 or less are depreciated fully in the year of procurement.

1.5. Investments

Long Term Investments are valued at cost less provision for permanent diminution in value.

Current investments are valued at lower of cost and fair value.

1.6. Borrowing Costs

Borrowing Costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for intended use. All other borrowing costs are charged to revenue.

1.7. Inventories

Inventories valued at lower of cost or net realizable value.

1.8 Revenue & Expenditure Recognition

Income: -

(1) It is accounted on the basis of accrual method of accounting.

(2) Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has provided 3% of Central Financial Assistance (CFA) released in respect of rooftop projects towards Publicity, Orientation, Awareness Programme, Workshops, Field Visits, Monitoring and Technical guidance etc.

Revenue from Project monitoring and Technical Guidance in respect of Rooftop Projects – Grid/Off Grid is accounted for on the basis of technical estimate on the progress of project.

Revenue has been recognized as per the following mentioned progress stages of projects.

Stage	% of Allocation	Cumulative % of Allocation
Allocation	1.50%	1.50%
Sanction	0.25%	1.75%
Commissioning	0.25%	2.00%
O&M - I Year	0.50%	2.50%
O&M - II Year	0.50%	3.00%
	3.00%	

उपरोक्त संख्या में से प्रचार, प्रबोधन, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला तथा क्षेत्र निरीक्षण पर वास्तविक खर्चा कम कर लिया गया है।

(3) उक्त के सम्बंध में छतोपरि परियोजना के विकासकों से प्राप्त सेवा शुल्क परियोजना क्षमता की अनुज्ञा के वर्ष में आय के रूप में माना गया है।

व्यय :–

इसका लेखाकरण उपार्जन प्रणाली के आधार पर, जब और जिस प्रकार व्यय होता है, किया जता है।

1.9 चालू तथा आस्थगित कर हेतु प्रावधान

चालू आयकर, आयकर एक्ट 1961 के आधार पर विभिन्न छूट और छूट नहीं के प्रावधानों को ध्यान में रखकर की जाती है।

आस्थगित कर, कर योग्य आय तथा एक निश्चित समय में लेखांकित आय के मध्य समय अंतराल को यह देख कर किया जाता है कि वह एक अथवा अधिक आगामी समय में कितना विपर्यय होता है, पर मान्य होता है।

1.10 परिसम्पत्तियों का नुकसान

जब परिसम्पत्तियों की संचालन लागत उससे प्राप्त होने वाली राशि से अधिक होती है तब किसी परिसम्पत्ति की क्षति मानी जाती है। क्षति से होने वाले नुकसान को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है, जिस वर्ष परिसम्पत्ति की क्षति की पहचान की जाती है।

1.11 विदेशी मुद्रा विनिमय

(1) आरम्भिक अभिज्ञान

विदेशी मुद्रा लेन–देन को रिपोर्टिंग मुद्रा में विदेशी मुद्रा की राशि को लेन–देन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर पर रिकार्ड किया जाता है।

(2) रूपांतरण

विदेशी मुद्रा की आर्थिक मदों को बंद होने की दरों पर दर्शाया जाता है। गैर आर्थिक मदों, जिन्हें विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग में ऐतिहासिक लागत के संबंध में अग्रेनित किया गया है, को लेन–देन की तिथि को विद्यमान विनिमय शुल्क दर का उपयोग कर दर्शाया गया है तथा उन गैर – आर्थिक मदों, जो उचित मूल्य पर अथवा किसी विदेशी मुद्रा में समान मूल्य पर अग्रेनीत किया गया है, को उन विनिमय दरों का उपयोग करके दर्शाया गया है जो मूल्यों को निर्धारित करते समय विद्यमान थीं।

(3) विनिमय में अंतर

आर्थिक मदों अथवा रिपोर्टिंग कम्पनी की आर्थिक मदों कि उन दरों जिन पर उन्हें वर्ष के दौरान आरम्भ में रिकार्ड किया गया था , से भिन्न दरों पर निपटान से होने वाले विनिमय अंतर को उस वर्ष की आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष में अंतर उत्पन्न होते हैं।

1.12 प्रावधान,आकस्मिक देयतायें और आकस्मिक परिसम्पत्तियों का प्रावधान

मापन के अनुमान को पर्याप्त मात्रा में शामिल करने को मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता उत्पन्न होती है और यह सम्भव है कि संसाधनों का निर्गमन होगा। आकस्मिक देयताओं को स्वीकार नहीं किया जाता है बल्कि टिप्पणियों में छिपाया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में न तो स्वीकार किया जाता है न ही छिपाया जाता है।

The actual expenditure incurred towards Publicity, Orientation, Awareness Programme, Workshops and Field visits has been deducted from figure arrived above.

(3) Service Charges received from the developer for rooftop projects in respect of above has been recognized as income in the year of sanction of the capacity of project.

Expenditure: -

It is accounted on the basis of accrual basis as and when it is incurred.

1.9 Provision for Current and Deferred Tax

Provision for Current Income Tax is made after taking into consideration various allowances and disallowances as per provision of the Income Tax Act, 1961.

Deferred tax is recognized, subject to the consideration of prudence, on timing differences being the difference between taxable incomes and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

1.10 Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the assets exceeds its recoverable amount. An impairment loss is charged to the Profit and Loss account as an exceptional item in the year in which an asset is identified as impaired.

1.11 Foreign Currency Transactions

(1) Initial Recognition

Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transaction.

(2) Conversion

Foreign Currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of transaction and non- monetary items which are carried at fair value or similar valuation denominated in a foreign currency are reported using the exchange rates that existed when the values were determined.

(3) Exchange Difference

Exchange difference arising on settlement of monetary items or on reporting company's monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the year, or reported in previous financial statements, are recognized as income or as expenses in the year in which they arise.

1.12 Provision, Contingent Liabilities & Contingent Assets Provision

Involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized, but are disclosed in the notes. Contingent assets are neither recognized, nor disclosed in the financial statements.

1.13 कर्मचारियों के हित

ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और लेखाकरण मानक (ए एस–15)में परिभाषित सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले अन्य लाभों के लिये प्रावधान वित्त वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया जाता है। भविष्य निधि सम्बंधी देयता का लेखाकरण अधिग्राह आधार पर किया जाता है।

1.14 विविध

100,000/– रुपये तथा उससे कम मूल्य की वस्तुओं के पूर्व प्रदत्त एवं पूर्वविधि को भुगतान/प्राप्ति के वर्ष के लेखा के स्वाभाविक शीर्ष में प्रभारित किया जाता है।

2. लेखा सम्बंधी टिप्पणियां :

2.1 प्रति शेयर कमाई (ईपीएस)

(राशि रु. में)

मदें	2013-2014	2012-2013
क. इक्विटी शेयरधारी के लिये उपलब्ध निवल लाभ	(2,84,55,511)	(4,76,69,776)
ख. ईपीएस के परिकलन के लिये डिनोमिनेटर के रूप में उपयोग किये गये इक्विटी शेयरों की संख्या	3,63,041	1,35,233
ग. प्रत्येक 1000 रु. अंकित मूल्य के प्रति शेयर पर मूल तथा अवमिश्रित प्राप्ति(पिछले वर्ष का अंकित मूल्य 1000 रुपये प्रति शेयर)	(78.38)*	(353)

विवरण निम्न हैं।

आवंटित शेयर की संख्या	आवंटन की तारीख	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि	दिनों की संख्या	दिनों की कुल संख्या	समतुल्य शेयर
ए	बी	सी	डी=(सी –बी)	ई	ए x (डी/ई)
210000	पिछले वर्ष	31-03-2014	365	365	2,10,000
210000	9-07-2013	31-03-2014	266	365	1,53,041
4,20,000	कुल				3,63,041
वर्ष के दौरान हानि (रु में) (जी)					(2,84,55,511)
ईपीएस प्रति शेयर रु. में (जी/एफ)					(78.38)

2.2 आस्थगित कर संपत्ति

(रु में)

निम्न के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएँ)	31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार	31 मार्च 2013 की स्थिति अनुसार
	राशि	राशि
मूल्यह्रास	(11,89,145)	–
उपार्जित उपदान, छुट्टियों का नकदीकरण और सेवानिवृत्ति लाभ प्रावधान	24,15,472	–
हानि के कारण	1,19,98,027	–
कुल	1,32,24,354	–

कम्पनी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत सार्वजनिक परोपकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है जिसकी आय आयकर से मुक्त है। इस स्थिति के आधार पर 31.3.2013 को आयकर तथा आस्थगित कर का प्रावधान नहीं किया गया था। परंतु इस वर्ष कम्पनी ने ऐसी व्यापार गतिविधियां की हैं जो परोपकारी कार्यकलाप की श्रेणी में नहीं आती। अतः इस वर्ष कम्पनी ने 1,32,24,354 रुपये की आस्थगित कर परिसम्पत्ति स्वीकार की है। (पिछले वर्ष शून्य थी)

2.3 लेखांकन मानक (एएस)15 कर्मचारी लाभ के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकटीकरण

विभिन्न निश्चित कर्मचारी लाभों का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है :

1.13 Employees Benefits

Provision for gratuity, leave encashment and other post-retirement benefits as defined in Accounting Standard (AS)-15 is made on the basis of actuarial Valuation at the end of financial year. Provident fund liability is accounted for on accrual basis.

1.14 Miscellaneous

Prepaid and prior period expenses/income of items of Rs. 100,000/- and below are charged to natural heads of accounts in the year of payment/receipt.

2. Notes on Accounts:

2.1 Earnings per Share (EPS)

(Amount in Rs.)

Particulars	2013-2014	2012-2013
a. Net Profit available for Equity Shareholders	(2,84,55,511)	(4,76,69,776)
b. Number of Equity Shares used as denominator for calculation of EPS	3,63,041	1,35,233
c. Basic and Diluted Earnings per Share of face value of Rs.1000/- each (previous year face value of Rs.1000/-each)	(78.38)*	(353)

* details are here under

No. of Share Allotted	Date Of Allotment	Last Date of FY	No. Of Days	Total No. of days	Equivalent Shares
A	B	C	D= (C-B)	E	A X (D/E)
210000	Last year	31-03-2014	365	365	2,10,000
210000	9-07-2013	31-03-2014	266	365	1,53,041
4,20,000	Total (F)				3,63,041
Loss during the year (In Rs.) (G)					(2,84,55,511)
EPS Per share (In Rs.) (G/F)					(78.38)

2.2 Deferred Tax Assets (Net)

(In Rs.)

Deferred Tax Assets/(Liabilities) on Account of	As at 31st March 2014	As at 31st March 2013
	Amount	Amount
Depreciation	(11,89,145)	Nil
Accrued Gratuity, Leave Encashment and Retirement Benefit provision	24,15,472	Nil
On Account of Losses	1,19,98,027	Nil
Total	1,32,24,354	Nil

The company is registered u/s. 12A of the Income Tax Act, 1961, as a Public Charitable Institution whose income is exempt from income tax. Thus, in view of this status, the provision for income tax and deferred tax was not made in 31st March 2013. However, during the year the company has carried out business activity which does not fall into the category of Charitable Activity. Thus during the year the company has recognized deferred tax Assets amounting to Rs. 1,32,24,354 (Previous year Nil).

2.3 Disclosure under the provisions of accounting standard (AS) 15 employee Benefits'

General description of various defined employee benefits are as under:

(क) निर्धारित अंशदान योजनाएं:

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान

कम्पनी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर भविष्य निधि में निर्धारित अंशदान देती है। इस वर्ष के लिये ईपीएफओ को 25,06,076 रुपये (पिछले वर्ष में 9,37,920 रुपये) के अंशदान को व्यय माना गया है तथा आय और व्यय के विवरण में इसे प्रभारित किया गया है।

(ख) निर्धारित लाभ योजनाएं:

(1) उपदान

कम्पनी की एक सुनिश्चित लाभ उपदान योजना है जो कि उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित है। उपदान की देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर तय की गई है।

(2) अर्जित अवकाश नकदीकरण

कम्पनी की अपने कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित अर्जित अवकाश नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कतिपय सीमाओं और उसके लिये निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अनुसार अर्जित अवकाश के नकदीकरण के हकदार हैं। अवकाश नकदीकरण की देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है।

(3) बीमारी (चिकित्सा अवकाश) का नकदीकरण

कम्पनी की अपने कर्मचारियों के लिये एक सुनिश्चित चिकित्सा अवकाश नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कतिपय सीमाओं और उसके लिये निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अनुसार चिकित्सा अवकाश के नकदीकरण के हकदार हैं। चिकित्सा अवकाश नकदीकरण की देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है।

(4) सेवा–निवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना

कम्पनी की सेवा निवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है जिसके अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी और उसकी पति या पत्नी को कम्पनी अस्पताल / पैनल अस्पताल में चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जाती हैं। वे बाह्य रोगी के रूप में कम्पनी द्वारा निर्धारित सीमा तक उपचार करा सकते हैं। सेवा निवृत्त उपरांत चिकित्सा खर्चों के लिये देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

(5) सेवानिवृत्ति के बाद अधिवर्षिता लाभ

कर्मचारियों के वेतनमानों (आईडीए पैटर्न) के संशोधन पर डीपीई दिशा निर्देशों में शामिल हैं मूलवेतन और महगाई भत्ते के 30% तक अधिवर्षिता लाभ प्रदान करने के लिये प्रावधान, जिसमें सीपीएफ, उपदान, अर्जित लाभ, चिकित्सा बीमारी अवकाश, अधिवर्षिता के बाद की चिकित्सा सुविधायें और पेंशन शामिल हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार सीपीएसई को अपनी योजनायें बनानी होती हैं। निगम इस दिशा में सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन तथा चिकित्सा सुविधायें देने की योजना बनाने की प्रक्रिया में है। इस स्कीम को अंतिम रुप देने तक इस वर्ष 27,54,150 /– रुपये का प्रावधान किया गया है।

कम्पनी ने निम्नलिखित लाभ के लिये प्रावधान किये हैं :

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु.)
1.	निश्चित अंशदान योजना–पीएफ	23,09,860
2.	निश्चित लाभ योजना–उपदान	7,10,640
3.	निश्चित लाभ योजना–पीआरएमबी	2,04,818
4.	निश्चित लाभ योजना–पेंशन	2549332
	[(1,92,48,835) = मूल + मंहगाई भत्ता] x 30%	57,74,650

a) Defined Contribution Plans:

Employer's contribution to Provident Fund:

The company pays fixed contribution to provident fund at predetermined rates to Employees Provident Fund Organization. The contribution of Rs. 25,06,076/- (Previous year Rs.9,37,920/-) to the EPFO for the year is recognized as expense and is charged to the Statement of Income & Expenditure.

b) Defined Benefits Plans:

1) Gratuity:

The Company has a defined benefit gratuity plan, which is regulated as per the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972. The liability towards gratuity has been provided on the basis of actuarial valuation.

2) Earned Leave Encashment

The company has defined benefit leave encashment plan for its Employees. Under this plan they are entitled to encashment of earned leaves subject to certain limits and other conditions specified for the same. The liability towards leave encashment has been provided on the basis of actuarial valuation.

3) Sick (Medical Leave) Encashment

The company has defined benefit leave encashment plan for its Employees. Under this plan they are entitled to encashment of Sick (medical) leaves subject to certain limits and other conditions specified for the same. The liability towards leave encashment has been provided on the basis of actuarial valuation.

(4) Retired Employee Health Scheme:

The Company has a Retired Employee Health Scheme, under which retired employee and their spouse are provided medical facilities in the company hospitals/empanelled hospitals. They can also avail treatment as Out-Patient subject to a ceiling fixed by the company. The liability towards the Post-Retirement medical expenses has been provided on the basis of actuarial Valuation.

(5) Post-Retirement Superannuation Benefits

DPE Guidelines on Revision of Pay Scales (IDA Patterns) of employees include a provision for providing superannuation benefits upto 30% of basic pay & DA which include CPF, Gratuity, Earned Leave, Medical Sick Leave, Post superannuation medical facilities and Pension. As per guidelines, the CPSEs are to make their own schemes in this regard. The Corporation is in the process of formulating the schemes for post-retirement benefits of pension and medical facilities and pending finalization of scheme, provision of Rs. 27,54,150/- has been made during the year.

The company has provided for the following benefits:

Sl.	Particulars	Amount (Rs.)
1.	Defined Contribution plan – PF	23,09,860
2.	Defined Benefit Plan- Gratuity	7,10,640
3.	Defined Benefit Plan – PRMB	2,04,818
4.	Defined Benefit Plan – Pension	2549332
	[(1,92,48,835) = Basic +D.A.] X 30%	57,74,650

(क) वास्तविक मूल्यांकन के लिये प्रमुख वास्तविक पूर्वानुमान

(क) आर्थिक पूर्वानुमान

विवरण	अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश और सेवनिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ
I) रियायती दर	8.5
II) भविष्य वेतन वृद्धि	6.5
III) योजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ की संभावित दर	0

(ख) डेमोग्राफिक पूर्वानुमान

I) सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60
II) मृत्यु दर सारणी	आई ए एल एम (2006–08)
III) आयु	निकासी दर (%)
30 वर्ष तक	3
31 से 44 वर्ष तक	2
44 वर्ष से अधिक	1

31.03.2014 के अनुसार बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (रु में)

क्र. सं.	विवरण	अर्जित अवकाश	चिकित्सा अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाऐं	उपदान
क)	अवधि की शुरुआत में बाध्याता का मौजूदा मूल्य (31–03–2013)	3,94,186	1,80,984	91,582	1,84,470
ख)	अधिग्रहण समायोजन	—	—	—	—
ग)	ब्याज लागत	31,535	14,479	7,327	14,758
घ)	सेवा उपरांत लागत	--	--	--	--
ङ)	वर्तमान सेवा लागत	23,08,212	10,51,472	2,25,503	6,75,669
च)	कॉट छॉट लागत / (जमा)	—	—	—	—
छ)	व्यवस्था लागत / (जमा)	—	—	—	—
ज)	प्रदत्त लाभ	—	—	—	—
झ)	दायित्व पर वास्तविक (लाभ) / हानि	(20,937)	(53,383)	(28,012)	20,213
ञ)	अवधि के अंत में दायित्व की मौजूदा कीमत (31–03–2014)	27,12,996	11,93,552	2,96,400	8,95,110

दिनांक 31.03.2014 के अनुसार तुलन पत्र में अभिनिर्धारित की जाने वाली धनराशि और संबंधित विश्लेषण।
(रु में)

क्र. सं.	विवरण	अर्जित अवकाश	चिकित्सा अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	उपदान
क)	अवधि के अंत तक बाध्यता का मौजूदा मूल्य	27,12,996	11,93,552	2,96,400	8,95,110
ख)	अवधि के अंत योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	--	--	--	--
ग)	वित्तपोषित स्थिति	(27,12,996)	(11,93,552)	(2,96,400)	(8,95,110)
घ)	अनुमानित से वास्तविक का आधिक्य	--	--	--	--
ङ)	अनभिज्ञात वास्तविक (लाभ) / हानि	--	--	--	--
च)	तुलन पत्र में अभिनिर्धारित निवल संपत्तियां / (देयता)	(27,12,996)	(11,93,552)	(2,96,400)	(8,95,110)

A) Key Actuarial assumptions for Actuarial Valuation:

a) Economic Assumptions

Particulars	Earned Leave, Sick Leave & Post-Retirement Medical Benefits.
I) Discounting Rate	8.5
II) Future salary Increase	6.5
III) Expected Rate of return on plan assets	0

b) Demographic Assumption

I) Retirement Age (Years)	60
II) Mortality Table	IALM (2006-08)
III) Ages	Withdrawal Rate (%)
Up to 30 Years	3
From 31 to 44 years	2
Above 44 years	1

Change in present value of obligation as on 31/03/2014 (In Rs.)

Sr. No.	Particulars	Earned Leave	Sick Leave	Post Retirement Medical Benefits	Gratuity
a)	Present value of obligation as at the beginning of the period (31/03/2013)	3,94,186	1,80,984	91,582	1,84,470
b)	Acquisition adjustment	—	—	—	—
c)	Interest cost	31,535	14,479	7,327	14,758
d)	Past service cost	—	--	--	—
e)	Current service cost	23,08,212	10,51,472	2,25,503	6,75,669
f)	Curtailment cost/(Credit)	—	—	—	—
g)	Settlement cost/(Credit)	—	—	—	—
h)	Benefits paid	—	—	—	—
I)	Actuarial (gain)/loss on obligation	(20,937)	(53,383)	(28,012)	20,213
j)	Present value of obligation as at the end of period (31/03/2014)	27,12,996	11,93,552	2,96,400	8,95,110

The amounts to be recognized in balance sheet and related analysis as on 31/03/2014
(In Rs.)

Sr	Particulars	Earned Leave	Sick Leave	Post Retirement Medical Benefits	Gratuity
a)	Present value of obligation as at the end of the period	27,12,996	11,93,552	2,96,400	8,95,110
b)	Fair value of plan assets as at the end of the period	--	--	--	--
c)	Funded status	(27,12,996)	(11,93,552)	(2,96,400)	(8,95,110)
d)	Excess of actual over estimated	--	--	--	--
e)	Unrecognized actuarial (gains)/losses	--	--	--	--
f)	Net asset/(liability) recognized in balance sheet	(27,12,996)	(11,93,552)	(2,96,400)	(8,95,110)

दिनांक 31.03.2014 तक लाभ तथा हानि के विवरण में अभिनिर्धारित व्यय। (रु में)

क्र. सं.	विवरण	अर्जित अवकाश	चिकित्सा अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	उपदान
क)	वर्तमान सेवा लागत	23,08,212	10,51,472	2,25,503	6,75,669
ख)	सेवापरांत लागत	–	–	–	–
ग)	ब्याज लागत	31,535	14,479	7,327	14,758
घ)	योजना संपत्तियों पर अनुमानित रिटर्न	–	–	–	–
ङ)	कॉट छॉट लागत / (जमा)	–	–	–	–
च)	व्यवस्था लागत / (जमा)	–	–	–	–
छ)	अवधि में अभिनिर्धारित निवल वास्तविक लाभ / हानि	(20,937)	(53,383)	(28,012)	20,213
ज)	लाभ और हानियों के विवरण मे अभिनिर्धारित व्यय	23,18,810	10,12,568	2,04,818	7,10,640

2.4 खण्डवार सूचना :

कम्पनी का एक उल्लेखनीय खंड है और तदनुसार खंडवार सूचना लागू नही होती।

2.5 सम्बंधित पक्ष के प्रकटीकरण

लेखांकन मानक (ए.एस)–18 द्वारा यथापेक्षित "सम्बंधित पक्ष प्रकटीकरण" सम्बंधित पक्षकारों से लेन–देन के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(क) सम्बंधित पक्षकार–मुख्य प्रबंधन कार्मिक

(ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को दिया गया पारिश्रमिक 90,03,942 रुपये है। अन्य लाभ 64,73,869 रुपये हैं जो कि वेतन और श्रमिक मद के अंतर्गत शामिल है।(पूर्व वर्ष में 33,30553 रुपये था)

2.6 पूंजीगत वचनबद्धतायें लम्बित निष्पादन 105,62,20,088 / – रुपये (पूर्व वर्ष में 3,74,220 / – रु)

2.7 कर्मचारियों, कार्यालयों और गेस्ट हाऊस के आवासीय उपयोग के लिये परिसरों के संचालित पट्टों के सम्बंध में कम्पनी में महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थायें हैं। ये पट्टेधारी व्यवस्थायें जो कि गैर निरस्त नहीं हैं आमतौर पर आपसी लाभ खर्चों द्वारा नवीकरणीय होती हैं उनमें 2,94,33,394 / – रु (पूर्व वर्ष में 2,34,77,511 / – रु) आवासीय उपयोग के कर्मचारियों के लिये परिसरों के सम्बंध में पट्टा भुगतान और शुद्ध वसूली शामिल है। कार्यालयों और गेस्ट हाऊसों के परिसरों के सम्बध में पट्टा भुगतान किराये के रूप में दिखाया गया है।

2.8 सम्पत्तियों की हानि–लेखांकन मानक–28

प्रबंधन के मत में वर्ष के दौरान सम्पत्तियों को किसी महत्वपूर्ण हानि की कोई सूचना नहीं है।

2.9 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम–2006 द्वारा यथापेक्षित सूक्ष्म और लघु उपक्रमों के सम्बंध में 31 मार्च , 2014 तक सूचना।

वित्त वर्ष 2013–14 में एमएसएमई के साथ कोई लेन देन नहीं हुआ।

2.10 बोर्ड बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार निगम के पास उपलब्ध बचे हुए अवतरित धन को इस उद्देश्य के लिये सरकारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लघु अवधि जमा में सांवधिक रूप से रखा गया।

Expense recognized in the statement of profit and loss as on 31/03/2014 (In Rs.)

Sr.	Particulars	Earned Leave	Sick Leave	Post Retirement Medical Benefits	Gratuity
a)	Current service cost	23,08,212	10,51,472	2,25,503	6,75,669
b)	Past service cost	–	–	–	–
c)	Interest cost	31,535	14,479	7,327	14,758
d)	Expected return on plan assets	–	–	–	–
e)	Curtailment cost / (Credit)	–	–	–	–
f)	Settlement cost / (Credit)	–	–	–	–
g)	Net actuarial (gain)/ loss recognized in the period	(20,937)	(53,383)	(28,012)	20,213
h)	Expenses recognized in the statement of profit & losses	23,18,810	10,12,568	2,04,818	7,10,640

2.4 Segment Reporting

The Company has one reportable segment and accordingly segment reporting is not applicable.

2.5 Related Party Disclosure

As required by Accounting Standard (AS)-18 'Related Party disclosure', details of transaction with related parties are:

a) Related Parties – Key Management Personnel:

b) Remuneration to key management personnel is Rs. 90,03,942. Other benefits of Rs. 64,73,869/- is included in the respective heads under salary & wages –Staff, (Previous year: Rs. 33,30,553).

2.6 Capital Commitments pending execution Rs. 105,62,20,088/- (previous year Rs.3,74,220/-)

2.7 The Company's significant leasing arrangements are in respect of operating leases of premises for residential use of employees, offices & guesthouse. These leasing arrangements, which are not non-cancellable, are usually renewable by mutual benefits expense include Rs. 2,94,33,394/- (previous year Rs. 2,34,77,511/-) towards lease payments, net of recoveries in respect of premises for residential use employees. Lease payments in respect of premises for offices & guest house shown as Rent.

2.8 Impairment of Assets – Accounting Standard -28

In the opinion of the management, there is no indication of any significant impairment of assets during the year.

2.9 Information in respect of micro and small enterprises as at 31st March, 2014 as required by Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

During the financial year 2013-14 there was no transaction with any MSME.

2.10 In accordance with approval of the Board in its Board meeting, surplus un-disbursed funds available with the Corporation are placed periodically in short term deposits, taking into account the Government guidelines issued for the purpose.

2.11 विदेशी मुद्रा में व्यय

विवरण	राशि (रु में)
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीदारी के सीआईएफ मूल्य	2,36,268
यात्रा व्यय	91,555
कुल	3,27,823

2.12 बोर्ड के मत में स्थायी सम्पत्तियों के अलावा सभी सम्पत्तियां और गैर चालू निवेश, सामान्य व्यवसाय में बिक्री होने पर उनसे प्राप्त मूल्य कम से कम तुलन पत्र में दिखाये गये मूल्य के बराबर होना चाहिये।

2.13 कम्पनी के विरुद्ध दावे जिन्हे ऋृण के रुप में स्वीकृत नही किया गया, 1,11,74,849 रुपयों के है जो शहरी विकास मंत्रालय (कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्परेशन) को ब्याज के रूप में दूसरी तथा तीसरी किश्त देने में विलम्ब होने के कारण है जो कि किदवई नगर में बनी बनाई सम्पत्ति की खरीदारी के अलॉटमेंट लिए है। एन बी सी सी से इस में ब्याज की रकम के विषय में चर्चा चल रही है जो कि अंतिम दावे के तय होने तक लम्बित है। इसे कॉन्टिजेंट देयता में दिखाया गया है।

2.14 पूर्व–वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित ओर पुनः समूह में किया गया है ताकि उनकी चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलना हो सके।

2.11 Expenditure in Foreign Currency

Particulars	Amount (In Rs.)
CIF Value of Purchase of Fixed Assets	2,36,268
Travelling Expenditure	91,555
Total	3,27,823

2.12 In the opinion of the Board, all the assets other than Fixed Assets and Non-Current Investments have a value on realization in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the Balance Sheet if realized in the ordinary course of business.

2.13 Claim against the company not acknowledged as debt is Rs. 1,11,74,849/- for interest amount on delayed payment of second and third instalment due for payment to Ministry of Urban Development, GOI (Implementing Agency being National Buildings Construction Corporation Limited) for allotment for purchase of built – up space in Kidwai Nagar (East). The matter regarding interest amount has already been taken up with NBCC pending final claim, the same has been shown as Contingent Liability.

2.14 Previous year's figures have been rearranged or regrouped wherever necessary to make them comparable with the current year.

यहां तक कि तिथि की हमारी ऑडिट रिपोर्ट के संदर्भ में
In Terms of our Audit Report of Even Date

टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अनिवार्य भाग है
The Notes are an Integral Part of these Financial Statements

कृते सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स
For Sood Brij & Associates
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फर्म रजि. नं. 00350N
Chartered Accountants, FRN No. 00350N

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
For and on Behalf of the Board of Directors

(ए.के.सूद)
(A.K. Sood)
भागीदार
Partner
सदस्यता सं.– 14372
Membership No 14372

(एस. के. गुप्ता)
(S .K. Gupta)
कम्पनी सचिव
Company Secretary
सदस्यता सं. 10840
Membership No. 10840

(सी. कन्नन)
(C Kannan)
निदेशक(वित्त)
Director Finance
डी.आई.एन.सं. 06458185
DIN No. 06458185

(राजेन्द्र निमजे)
(Rajendra Nimje)
प्रबंध निदेशक
Managing Director
डी.आई.एन.सं. 02886079
DIN No. 02886079

Place : New Delhi
स्थान : नई दिल्ली
Date : 18-06-2014
दिनांक : 18-06-2014